बिहार सरकार

BASIC CONCEPT OF RESERVATION

आरक्षण की आधारभूत अवधारणा

Bihar Institute of Public Administration & Rural Development

BASIC CONCEPT OF RESERVATION
आरक्षण की आधारभूत अवधारणा

सैद्धान्तिक प्रशिक्षण:-

1. संक्षिप्त इतिहास:-

   (i) अनुसूचित जाति/जनजाति को संकल्प संख्या- 9908 दिनांक 13.11.1953 द्वारा नियुक्ति में आरक्षण प्राप्त है।

   (ii) अनुसूचित जाति/जनजाति को संकल्प संख्या-14425 दिनांक 23.08.71 द्वारा प्रोन्नति में आरक्षण प्राप्त है।

   (iii) पिछड़े वर्गो/अतिपिछड़े वर्गों को राज्य स्तर पर नियुक्ति में संकल्प संख्या- 755,756 एवं 757 दिनांक 10.11.1978 द्वारा आरक्षण प्राप्त है।

   (iv) पिछड़े वर्गो/अतिपिछड़े वर्गों को क्षेत्रीय स्तर पर नियुक्ति में संकल्प संख्या-147 दिनांक 21. 10.1990 द्वारा आरक्षण प्राप्त है।

   (v) पिछड़े वर्गो/अतिपिछड़े वर्गों को प्रोन्नति में आरक्षण की सुविधा प्राप्त नहीं हैं

2. भारत संविधान में प्रावधान :

   (I) आरक्षण का प्रावधान संविधान द्वारा प्रदत्त है, भारत संविधान की धारा 16 (4) में आरक्षण संबंधी प्रावधान है। अनुसूचित जाति को संविधान की धारा-341 के तहत तथा अनुसूचित जनजाति को संविधान की धारा 342 के तहत आरक्षण का प्रावधान है।

   (ii) महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन :-

   (क) संविधान (77वाँ संशोधन) अधिविभाग, 1995 (17.6.95)- इसके अनुसार राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान किया जा सकेगा।

बिहार अधिनियम 3/1992 एवं समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम (17/2002) के आलोक में पदोन्नति में अनुसूचति जाति / जनजाति को आरक्षण देय है।

(ख) संविधान (81वाँ संशोधन) अधिनियम, 2000 (9.6.2000)- इसके अनुसार बैकलॉग/कैरीफारवर्ड रिक्तियाँ अलग समूह की मानी जाएगी, जो चालू रिक्ति से अलग होगी तथा उन पर 50% अधिकतम आरक्षण की सीमा का प्रावधान लागू नहीं होगा।

बिहार अधिनियम-13/2004 के द्वारा उक्त प्रावधान राज्याधीन सेवाओं में लागू है।

(ग) संविधान (82वाँ संशोधन) अधिनियम, 2000:- इस संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु प्रोन्नतियों के मामले में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई है। इससे पूर्व माननीय उच्चतम् न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप 1997 में इस छूट को वापस ले लिया गया था। विभागीय संकल्प संख्या - 15838 दिनंक 22. 12.1990 एवं 10258 दिनांक 02.08.91 द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु Minimum Qualifying Marks का प्रावधान किया गया है।

(घ) संविधान (85वाँ संशोधन) अधिनियम, 2001 (w.e.f. 17.6.95):- राज्य की सेवाओं में इस संविधान संशोधन के तहत निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के सरकारी सेवक आरक्षण नियम के तहत प्रोन्नति में अपनी वरीयता बनाए रखेंगे। दूसरे शब्दों में अपेक्षाकृत बाद में प्रोन्नत सामान्य/पिछड़ा, अतिपिछड़ा वर्ग के सरकारी सेवक आरक्षण नियम के तहत् पहले प्रोन्नति पाए अनुसूचित जाति/जनजाति के सरकारी सेवक से कनीय होंगे।

विभागीय संकल्प संख्या 213 दिनांक 7.6.2002 द्वारा दिनांक 17.6.95 के प्रभाव से उक्त प्रावधान को लागू किया जा चुका है।

3. बिहार अधिनियम में प्रावधान:-

पूर्व से सरकारी सेवाओं में चले आ रहे आरक्षण प्रावधान को कुछ नये प्रावधानों के साथ समेकित कर वर्ष 1992 में बिहार सरकार द्वारा आरक्षण संबंधी अधिनियम पहली बार अधिनियमित किए गए। यथास्थिति आज तक उक्त अधिनियम में समय-समय पर संशोधन किए जाते रहे हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है :-

(i) **बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण** (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ें वर्गों के लिए) अधिनियम-1991 बिहार अधिनियम 3/1992 (मूल अधिनियम)

(ii) **बिहार अधिनियम 11/1993**- इसके द्वारा गै़र आरक्षित/आरक्षित श्रेणियों की अलग से (3/92 से अलग) व्याख्या की गई, जो आज तक लागू है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रावधान

भी इसके द्वारा किए गए।

(iii) **बिहार अधिनियम 07/1994**- इसके द्वारा ज़िलों के लिए आरक्षण का प्रावधान करते हुए ''खरवार''/''खोन्द''/''बंजारा''/''भुइया''/ बेदिया जातियों को सदा से अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) से विलोपित किया गया तथा भाट (हिन्दू) को पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) में जोड़ा गया।

(iv) **बिहार अधिनियम 6/1996** - इसके द्वारा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की सूची (अनुसूची-1) में 'अमात', चुड़ीहार (मुस्लिम), प्रजापति (कुम्हार), राईन या कुंजरा (मुस्लिम), सोयर जातियों को जोड़ा गया तथा पिछड़ा वर्ग की सूची (अनुसूची-2) में - ''कसौधन'' जोड़ा गया एवं इसी सूची में अमात, चुड़ीहार (मुस्लिम) प्रजापति (कुम्हार), राईन या कुंजरा (मुस्लिम) को विलोपित किया गया।

इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान (बिहार अधिनियम 3/1992 की धारा-14 अ के रूप में) अधिनियम की अनुसूची-1 एवं 2 में जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति के रूप में किया गया :- पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिनियम से उपाबद्ध अनसूची-1 अथवा अनुसूची-2 में किसी जाति/वर्ग को यथास्थिति जोड़ या हटा सकेगी।

(v) **बिहार अधिनियम 17/2002** :- बिहार विभाजन के पश्चात उत्तरवर्ती बिहार में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति/प्रोन्नति में नए सिरे से आरक्षण प्रतिशत का निर्धारण उक्त अधिनियम द्वारा निम्न रूपेण किया गया:-

अनुसूचित जाति-	16%
अनुसूचित जनजनति-	01%
अत्यन्त पिछड़ा वर्ण (अनुसूची-1)-	18%
पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2)-	12%
पिछड़ा वर्ग की महिला-	03%
अनारक्षित वर्ग-	50%
कुल	100%

(vi) **बिहार अधिनियम 15/2003**:- इस अधिनियम के तहत् निम्नांकित दो प्रावधान है:-

(क) **बिहार अधिनियम-3/1992 की धारा-3** का संशोधन करते हुए निम्न प्रावधान किए गए हैं:- आतंकवादी/जातीय अनबन या सांप्रदायिक दंगा/ निर्वाचन संबंधी हिंसा/ अन्य हिंसक घटनाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों में यह

अधिनियम लागू नहीं होगा अर्थात ऐसे मामलों की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम बाधक नहीं बनेगा।

(ख) **सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 70** दिनांक 11.06.1996 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि सरकारी सेवाओं में राज्य में मूलवासी को ही आरक्षण देय होगा। उक्त प्रावधान को बिहार अधिनियम-15/2003 द्वारा दिनांक 11.06.96 के प्रावधान से अधिनियमित करते हुए बिहार अधिनियम 3/1992 की धारा-4 में प्रावधान किया गया है। ''परन्तु और कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।''

(vii) **बिहार (शैक्षिणक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण अधिनियम-2003** बिहार अधिनियम 16/2003 :- राज्य सरकार द्वारा पूर्णत: या अंशत: सहायता प्राप्त सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों यथा सामान्य, तकनीकी, ग़ैर-तकनीकी, व्यावसायकि आदि में नामांकन में अनुसूचित जातियों/जनजातियों एवं अन्य पिछड़ें वर्गों को यथोचित प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण का निम्नवत् उपबंध किया गया है:-

अनुसूचित जाति-	16%
अनुसूचित जनजाति-	01%
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)-	18%
पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2)-	12%
पिछड़ा वर्ग की महिला-	03%
अनारक्षित वर्ग-	50%

	100%

(viii) **बिहार अधिनियम-13/2004** :- 81वाँ संविधान संशोधन के आलोक में इस अधिनियम द्वारा निम्न प्रावधान किए गए है:-

''परन्तु बैकलॉग और कैरीफारवर्ड रिक्तियाँ पृथक एवं विशेष वर्ग की मानी जाएगी तथा उस वर्ष की आरक्षित रिक्तियों के साथ, जिसमें उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या पर 50% आरक्षण की सीमा भी निश्चित करने के लिए भरी जाने वाली हो, विचारण नहीं किया जाएगा। दूसरें शब्दों में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा मात्र चालू वर्ष के दौरान, जिसमें रिक्तयों को भरने की प्रक्रिया अपनाई जा रही हो, होने वाली रिक्तियों पर ही लागू होगी तथा आरक्षित वर्गों से संबंधित पूर्व के वर्षों की बैकलॉग/ कैरीफारवर्ड रिक्तियाँ पृथक और विशेष वर्ग के रूप में मानी जाएगी तथा आरक्षण की अधिकतम सीमा से छूट प्राप्त होगी।''

4. **संकल्प के माध्यम से प्रावधानः-**

राज्य सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत एवं महत्वपूर्ण निर्णय संकल्प के माध्यम से किए जाते हैं। आरक्षण विषयक संकल्प में अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित/ निष्कासन संबंधी संकल्प, क्रीमीलेयर संबंधी संकल्प, विकलांगों (Persons with disability) से संबंधित, संकल्प, स्क्रूटनी कमिटि संबंधी संकल्प आदि प्रमुख है।

5. **क्रीमीलेयर संबंधी प्रावधान :-** केन्द्रीय सेवाओं में पिछड़ें वर्गों के लिए एक सूची है, जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के नाम से जाना जाता है, जबकि बिहार राज्य के स्तर पर पिछड़े वर्गों की दो सूचियाँ हैं, अत्यन्त पिछड़ा वर्गों की सूची (अनुसूची-।) तथा पिछड़ा वर्गों की सूची (अनुसूची-।।)।

सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लाभ हेतु अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/ अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को क्रीमीलेयर रहित (Non Creamy Layer) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है।। इसके बिना उक्त समुदाय के सदस्यों को आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। बिहार सरकार के स्तर पर भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित क्रीमीलेयर संबंधी प्रावधानों को ही अपनाया गया है, जिसके अनुसार उन व्यक्तियों को पुत्र पुत्रियों, जिनकी लगातार तीन वर्षों तक कुल वार्षिक आय 4.5 लाख रूपये अथवा उससे अधिक है, को क्रीमीलेयर में रखते हुए आरक्षण के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र के आधार पर निर्गत किए जाते हैं (मूलतः परिपत्र संख्या-246 दिनांक 9.06.2004 एवं 7808 दिनांक 25.11.2008 द्रष्टव्य)।

6. **विकलांगों से संबंधित प्रावधानः-**

विकलांगो को आरक्षण संबंधी पूर्व के प्रावधानों का ब्योराः-

(i) संकल्प संख्या-347 दिनांक 7.6.86 राज्य स्तरीय पदों पर नियुक्ति में प्राथमिकता एवं प्रमंडल तथा ज़िला स्तरीय पदों पर नियुक्ति में 3% आरक्षण की व्यवस्था।

(ii) संकल्प संख्या-147 दिनांक 21.11.90- ज़िला एवं प्रमंडल स्तर की नियुक्तियों में 3% आरक्षण की सुविधा।

(iii) बिहार अधिनियम-3/1992 (मूल आरक्षण अधिनियम) द्वारा विकलांगों के लिए आरक्षण/प्राथमिकता की सुविधा नहीं दी गई।

(iv) अधिसूचना संख्या-152 दिनांक 13.12.1993 :- प्रमंडल एवं ज़िला स्तरीय नियुक्ति में 3% प्राथमिकता।

(v) विकलांग व्यक्ति अधिनियम – 1995 के तहत् संकल्प संख्या 251 दिनांक 18.11.2000 द्वारा विकलांगों को नियुक्ति में सभी स्तर की सेवाओं में 3% आरक्षण की व्यवस्था।

विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा-33 के तहत् राज्य सरकार के सभी विभागों/ कार्यालयों/ राजकीय लोक उपक्रमों/नियमों/निकायों/बोर्डों के सभी प्रकार के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह आरक्षण अलग से नहीं है। चयनित विकलांग जिस कोटा के होंगे, उनका सामंजन उसी कोटा के विरूद्ध होगा। यह आरक्षण quota under quota अर्थात Horizantal आरक्षण है। इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित है:-

(a) उम्मीदवार की विकलांगता 40% से कम नहीं होना चाहिए।

(b) रोस्टर बिन्दु 1 से 33 तक- 1 पद - दृष्टि नि:शक्तता हेतु।
रोस्टर बिन्दु 34 से 67 तक- 1 पद - मूक बधिर नि:शक्तता हेतु।
तथा रोस्टर बिन्दु 68 से 100 तक- 1 पद- चालन नि:शक्तता हेतु।
(संकल्प संख्या-62 दिनांक 5.1.2007 द्रष्टव्य)।

(c) आयु सीमा में छूट:- प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अधिकतम 10 वर्षों तथा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु 5 वर्षों की छूट है। (संकल्प संख्या 62 दिनांक 5.1.2007 द्रष्टव्य)

(d) विकलांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अहर्त्तांक 32% निर्धारित है। इसी क्रम में नियुक्ति/अनुशंसी पदाधिकरी यथास्थिति मानदंडों में भी छूट दे सकते है। (परिपत्र संख्या-6708 दिनांक 01.10.2008 द्रष्टव्य)

(e) दृष्टिहीनों को लेखक भी उपलब्ध कराने का प्रावधान है, जिसे 100/- प्रतिपाली की दर से पारिश्रमिक भुगतान का भी प्रावधान है। यह भुगतान परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था द्वारा किया जायेगा। (परिपत्र संख्या-3433 दिनांक 09.10.2007 द्रष्टव्य)

(f) दृष्टिहीन अथवा कम दृष्टि वाले परीक्षार्थियों को संबंधित परीक्षा हेतु निर्धारित समय-सीमा के साथ-साथ प्रति घंटा 15 मिनट के दर से न्यूनतम 15 मिनट तथा अधिकतम् 45 मिनट अतिरिक्त समय का प्रावधान है (परिपत्र संख्या- 3433 दिनांक 09.10.2007 द्रष्टव्य)

7. **जाली जाति प्रमाण-पत्र के संदर्भ में स्क्रूटनी कमिटि संबंधी प्रावधाान :-**

मान्नीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-5854/94, कुमारी माधुरी पाटिल एवं अन्य बनाम अपर आयुक्त, जनजाति (आदिवासी) विकास एवं अन्य में पारित न्याय निर्णय के आलोक में अनुसूचित एवं अनुसूचित जन जाति के प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु

निदेशालय का गठन किया गया है। इसके तहत सामान्य समिति एवं निगरानी समिति है। किसी कर्मी विशेष की जाति प्रमाण–पत्र के संदर्भ में प्राप्त आरोपों की जाँच हेतु अभिलेखों की माँग संबंधित ज़िला पदाधिकारी से की जाती है, तदुपरान्त प्रक्रियात्मक रूप से निगरानी समिति एवं अंत में सामान्य समिति, जिसके अध्यक्ष तात्कालीन आरक्षण आयुक्त–सह–प्रशासनिक सुधार आयुक्त/प्रभारी सचिव, कार्मिक एवं प्रशासन सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) होते है, से जॉच करायी जाती है। इस निमित्त संकल्प संख्या 3887 दिनांक 8.11. 2007 द्वारा स्क्रूटनी समिति गठित है।

8. **जाति, आय, आवास प्रमाण–पत्रों संबंधी प्रावधानः–**

इस क्रम में सामान्य विभाग के संकल्प संख्या 673 दिनांक 8.3.2011 द्वारा व्यापक दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं, जो – सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाईट– www.gad.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

जाति, आवास एवं आय प्रमाण–पत्रों को निर्गत करने संबंधी विस्तृत दिशा–निदेश के **साथ–साथ प्रमाण**–पत्रों की वैद्यता की सीमा भी निर्धारित है, जो निम्नवत् है :–

जाति प्रमाण–पत्र– सामान्यतया जाति प्रमाण पत्र की वैद्यता की कोई सीमा नहीं होगी।

आय प्रमाण–पत्र– आय प्रमाण–पत्र हेतु आय का आंकलन गत वित्तीय वर्ष की आय के आधार पर होगा, जो निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष की अवधि तक वैद्य रहेगा।

आवास प्रमाण–पत्र– सामान्यतया अस्थायी आवास प्रमाण–पत्र की मान्यता निर्गत होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष तक होगी। स्थायी आवास प्रमाण–पत्र की वैद्यता की कोई सीमा नहीं होगी।

9. **अन्य महत्वपूर्ण परिपत्र/आदेश संबंधी जानकारीः–**

आरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश/परिपत्र/संकल्प आदि।

क्र0	आदेश/परिपत्र/संकल्प संख्या	विषय
1	19629 दिनांक 04.10.1974	सेलेक्शन ग्रेड के पदों पर नियुक्ति को प्रोन्नति समझना और इस पर आरक्षण लागू होना। इसे न्यायालय द्वारा अमान्य कर दिया गया है।
2	20165 दिनांक 08.11.1978	बिहार विभाजन के पूर्व प्रोन्नति संबंधी मॉडल रोस्टर।
3	756 दिनांक 10.11.1975	पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रारम्भ।
4	349 दिनांक 19.07.1985	रोस्टर पंजी संधारण हेतु फारमेट।
5	117 दिनांक 30.09.1995	सभी आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व पूरा होने पर रोस्टर संचालन स्थगित।
6	70 दिनांक 11.06.1996	दिनांक 11.06.96 से राज्य से बाहर वालों को आरक्षण का लाभ नहीं देना है।
7	251 दिनांक 18.10.2000	विकलागों को 3% आरक्षण की व्यवस्था।
8	329 दिनांक 04.07.2001	तृतीय श्रेणी के कर्मचारी का क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी।
9	154 दिनांक 08.07.2001	क्रीमीलेयर को आरक्षण से अलग रखना।
10	210 दिनांक 04.06.2002	नामांकन में विकलांगों के लिए आरक्षण।
11	213 दिनांक 07.06.2002	अनुसूचित जाति/जनजाति की परिणामी वरीयत (85वाँ संविधान संशोधन)
12	1800 दिनांक 09.06.2001	कालावधि का निर्धारण।
13	458 दिनांक 30.09.2002	शेष बिहार हेतु मॉडल रोस्टर।

14	62 दिनांक 05.01.2007	विकलांगों संबंधी रोस्टर एवं अन्य प्रावधान।
15	54 दिनांक 14.02.2003	रू0 6500–10500/– से नीचे वाले पदों को रोस्टर क्लियरेंस प्रशासी विभाग द्वारा किया जाना ।
16	478 दिनांक 11.10.2003	01.01.1996 से पूर्व कनीय प्रवर कोटि/वरीय प्रवर कोटि प्रोन्नति में पुराना रोस्टर लागू करना।
17	477 दिनांक 11.10.2003	अधियाचना की तिथि से अनुमान आरक्षण प्रतिशत लागू करने संबंधी
18	72 दिनांक 13.02.2004	शेष बिहार में झारखण्ड निवासियों को आरक्षण नहीं देना।
19	1700 दिनांक 24.08.2006	चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति संबंधी समिति में अल्पसंख्यक महिला सदस्यों पर मनोनयन।
20	8701 दिनांक 18.06.2012	पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की अद्यतन सूची।

क्र0	आरक्षण अधिनियम संख्या एवं दिनांक	विषय
1	बिहार आरक्षण अधिनियम 3/1992	मूल आरक्षण अधिनियम
2	बिहार आरक्षण अधिनियम 11/1993	आरक्षण प्रतिशत बदला जाना
3	बिहार अधिनियम 12/1993	पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का गठन
4	बिहार आरक्षण अधिनियम 7/1994	आरक्षण अवहेलना की स्थिति में अपराधिक मुकदमा दर्ज करने संबंधी प्राधिकृत पदाधिकारी
5	बिहार आरक्षण अधिनियम 6/1996	पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग सूची में समावेशन संबंधी संकल्प के माध्यम से शक्ति प्रदत्त।
6	बिहार आरक्षण अधिनियम 17/2002	शेष बिहार के लिए आरक्षण प्रतिशत:– अनुसूचित जाति – 16% अनुसूचित जनजनति – 01% अत्यन्त पिछड़ा वर्ग– 18% पिछड़ा वर्ग– 12% पिछड़े वर्ग की महिला – 03% 50%
7	बिहार आरक्षण अधिनियम 15/2003	(1) आतंकवादी/उग्रवादी आदि घटनाओं में मारे जाने वाले आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में आरक्षण से छूट। (2) राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को (झारखण्ड सहित) आरक्षण का लाभ नहीं देना।
8	बिहार आरक्षण अधिनियम 16/2003	शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण अधिनियम ।
9	बिहार आरक्षण अधिनियम 13/2004	कैरी फारवर्ड/ बैकलॉग रिक्ति की गिनती 50% आरक्षण की अधिसीमा के अन्तर्गत नहीं करना।

उपर्युक्त के अतिरिक्त आरक्षण विषयक नियुक्ति/प्रोन्नति/कालावधि के छूट आदि के संदर्भ में अनेकों परिपत्र/आदेश हैं, जिनकी आवश्यकता सेवाकाल में पड़ती रहती है। इस निमित्त सामान्य प्रशासन विभाग के पूर्व प्रकाशित दो परिपत्र संग्रहों (Volume-II) के साथ-साथ नवीनतम परिपत्र संग्रह, खण्ड-2 के अध्याय-8 में आरक्षण विषयक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

10. **एकल पद पर आरक्षण :-** सरकारी सेवाओं में एकल पदों पर आरक्षण की स्थिति निम्नवत् बदलती रही है :-

(i) परिपत्र संख्या 20165 दिनांक 08.11.1975 आरक्षण रोस्टर था।

(ii) परिपत्र संख्या 123 दिनांक 06.07.1992 आरक्षण रोस्टर था।

(iii) परिपत्र संख्या 5526 दिनांक 07.07.1995 आरक्षण लागू नहीं था।

(iv) परिपत्र संख्या 159 दिनांक 11.12.1997 रोस्टर रोटेशन।

(v) रिव्यू पीटिशन (सि0) नं0 1749/97 पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडिकल एडुकेशन एण्ड रिसर्च चंडीगढ़ बनाम फैकल्टी एसोसियशन एण्ड अदर्स में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.04.1998 को पारित न्याय निर्णय द्वारा आदेशित किया गया है कि एकल पद को भरने के लिए आरक्षण नहीं होगा।

11. **रोस्टर प्वाइंट (आरक्षण प्रतिशत के अनुसार):-**

(i) संकल्प संख्या - 9908 दिनांक 13.101.1953 (अनुसूचति जाति 12.5%, अनुसूचित जनजाति 10%) सीधी नियुक्ति हेतु वर्ग 1,2 एवं 3 के लिए 40 बिन्दु का रोस्टर

अनुसूचित जाति, रोस्टर बिन्दु -	1, 9, 17, 25 एवं 33	- 05 पद
अनुसूचित जनजाति रोस्टर बिन्दु -	2,11,21 एवं 31	- 04 पद
अनारक्षित वर्ग, रोस्टर बिन्दु -	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 ,13, 14, 15 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, एवं 40	- 31 पद

सीधी नियुक्ति वर्ग-04 हेतु रोस्टर बिन्दु- संकल्प संख्या- 9908 दिनांक 13.11.1953

अनुसूचित जाति, रोस्टर बिन्दु -	1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33 एव 37	- 10 पद
अनुसूचित जनजाति, रोस्टर बिन्दू-	2, 7, 12, 18, 23, 28, 34, एवं 38	- 08 पद
अनारक्षित वर्ग, रोस्टर बिन्दु -	3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20 22, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 35, 36, 36 एवं 40	- 22 पद

(ii) सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु वर्ग 1, 2 एवं 3 के 50 बिन्दु का रोस्टर परिपत्र संख्या 469 दिनांक - 12.01.1971 -

अनुसूचित जाति, रोस्टर बिन्दु - 1, 8, 15, 22, 29, 36 एवं 44 - 07 पद

अनूसूचित जनजाति, रोस्टर बिन्दू - 3, 13, 23, 33 एवं 43 - 05 पद

अनारक्षित वर्ग, रोस्टर बिन्दु 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16
17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28
30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41
42, 45, 46, 47, 48, 49 एवं 50 - 38 पद

सीधी नियुक्ति वर्ग-04 हेतु 50 बिन्दु का रोस्टर- संकल्प संख्या- 469 दिनांक 12.01.1971

अनुसूचित जाति, रोस्टर बिन्दू - 1, 5, 9, 12, 15, 19, 22, 25, 29, 32, 35
39, 42 एवं 45 - 14 पद

अनुसूचित जाति, रोस्टर बिन्दु - 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43 एवं 48 - 10 पद

अनारक्षित वर्ग, रोस्टर बिन्दु - 2, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 21
24, 26, 27, 30, 31, 34, 36, 37, 40, 41
44, 46, 47, 49 एवं 50 - 26 पद

(iii) प्रोन्नति हेतु 1,2,3 एवं 4 के लिए 50 बिन्दु पर रोस्टर, परिपत्र संख्या-4611 दिनांक 11.07.1972

अनुसूचित जाति, रोस्टर बिन्दु - 1, 8, 15, 22, 29, 36 एवं 43 - 07 पद

अनुसूचित जनजाति, रोस्टर बिन्दु - 3, 13, 23, 33 एवं 44 - 05 पद

अनारक्षित वर्ग, रोस्टर बिन्दु - 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16
- 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27
- 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39
- 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49 एवं 50 - 38 पद

(iv) परिपत्र संख्या- 20165 दिनांक 08.11.1975 नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु 50 बिन्दु का रोस्टर

अनुसूचित जाति, रोस्टर बिन्दु - 2, 8, 15, 22, 29, 36 एवं 44 - 07 पद

अनुसूचित जनजाति, रोस्टर बिन्दु - 3, 13, 23, 33 एवं 44 - 05 पद

अनारक्षित वर्ग, रोस्टर बिन्दु - 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16
17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27

28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39
40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49 एवं 50 – 38 पद

(v) परिपत्र संख्या– 292 दिनांक 02.06.1979 द्वारा सीधी नियुक्ति हेतु वर्ग 1,2,3 एवं 4 के लिए 100 बिन्दुओं को रोस्टर–

अनुसुचित जाति,रोस्टर बिन्दु – 2, 8, 15, 22, 29, 36, 44, 52, 58, 65
72, 79, 86 एवं 94 – 14 पद

अनुसुचित जनजाति, रोस्टर बिन्दु – 4, 13, 23, 33, 43, 54, 63, 73, 83 एवं93 – 10 पद

अत्यन्त पिछड़ावर्ग, रोस्टर बिन्दु – 3, 12, 25, 34, 51, 55, 61, 66, 75, 87, 95
एवं 100 – 12 पद

पिछड़ा वर्ग, रोस्टर बिन्दु – 6, 14, 30, 35, 45, 59, 70 उवं 80 – 08 पद

आर्थिक पिछड़ावर्ग, रोस्टर बिन्दु – 20, 41 एवं 84 – 03 पद

पिछड़े वर्ग की महिला – – 21, 42, 85 – 03 पद

अनारक्षित वर्ग, रोस्टर बिन्दु – 1, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 24
26, 27, 28, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 46,
47, 48, 49, 50, 53, 56, 57, 60, 62, 64,
67, 68, 69, 70, 74, 76, 77, 78, 81, 82
88, 89, 90, 91, 92, 96, 97, 98 एवं 99 – 50 पद

(vi) संकल्प संख्या – 147 दिनांक 21.10.90 द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्गों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर नियुक्ति हेतु रोस्टर व्यवस्था (ज़िलावार)

(vii) परिपत्र संख्या– 49 दिनांक 13.04.1994 द्वारा ज़िला एवं प्रमंडल की रिक्तियों में सीधी नियुक्ति हेतु रोस्टर व्यवस्था (ज़िलावार)

(viii) परिपत्र संख्या – 34 दिनांक – 11,03,1994 द्वारा राज्य स्तर पर सीधी नियुक्ति में 100 बिन्दुओं की रोस्टर व्यवस्था।

अनुसूचित जाति, रोस्टर बिन्दु – 2, 10, 18, 24, 34, 42, 46, 52, 60, 68,
74, 84, 92 एवं 96 – 14 पद

अनुसुचित जनजाति, रोस्टर बिन्दु– 4, 12, 22, 36, 48, 54, 62, 72, 86 एवं 98 – 10 पद

अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, रोस्टर बिन्दु– 6, 14, 20, 26, 32, 40, 50, 56, 64, 70, 76,
82, 90 एवं 100– – 14 पद

पिछड़ा वर्ग, रोस्टर बिन्दु – 8, 16, 28, 38, 44, 58, 66, 78, 88, एवं 94– 10पद

पिछड़े वर्गों की महिला– 30 एवं 80 – 02 पद

अनारक्षित वर्ग, रोस्टर बिन्दु – 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,

25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43,
45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63,
65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83,
85, 87, 89, 91, 93, 95, 97 एवं 99 – 50 पद

(ix) परिपत्र संख्या – 458 दिनांक– 30,09,2002 द्वारा 100 पदों का रोस्टर बिन्दु नियुक्ति हेतु (जिला एवं राज्य स्तरीय)

अनुसुचित जाति, रोस्टर बिन्दु –	4, 10, 16, 24, 28, 34, 40,48, 56, 62	
	68, 74, 78, 86, 92 एवं 98	– 16 पद
अनुसुचित जनजाति, रोस्टर बिन्दु–	44	– 01 पद
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, रोस्टर बिन्दु–	2, 08, 14, 20, 26, 32, 36, 42, 50, 54, 60	
	66, 70, 76, 82, 88, 94 एवं 100	–18 पद
पिछड़ा वर्ग, रोस्टर बिन्दु–	6, 12, 22, 30, 38, 46, 58, 64, 72, 80, 90,	
	एवं 96	– 12 पद
पिछड़े वर्गों की महिला–	18, 52, एवं 84	– 03 पद
अनारक्षित वर्ग, रोस्टर बिन्दु–	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,	
	25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43,	
	45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63,	
	65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83,	
	85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, एवं 99	– 50 पद

प्रोन्नति हेतु, रोस्टर बिन्दु– (जिला एवं राज्य स्तरीय)

अनुसुचित जाति–	4, 10, 16, 24, 28, 34, 40, 48, 56,62	
	68, 74, 78, 86, 92 एवं 98	– 16 पद
अनु0 जनजाति–	44	– 01 पद
अनारक्षित वर्ग–	शेष सभी उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर	– 83 पद

१२. **व्यावहारिक प्रशिक्षण**– इसके अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों को आरक्षण रोस्टर/रोस्टर क्लीयरेंस/बैकलॉग की गणना/ मेरिट लिस्ट का निर्माण आदि की व्यावहारिक जानकारी प्रशिक्षण के अन्तर्गत दी जाती है।

पत्र संख्या-11/आ0 :- आ0 वी0-11, 2002 का0- 458

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

डा0 अरविन्द प्रसाद

सरकार के सचिव

सेवा में,

सभी विभागीय सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी ज़िला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक- 30 सितम्बर, 2002

विषय :- बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए। (संशोधन) अधिनियम 2002- (बिहार अधिनियम-17/2002) के आलोक में सभी सरकारी तथा सभी अर्द्ध-सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति में आरक्षण के संबंध में रोस्टर की व्यवस्था।

महोदय,

1. निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सभी सरकारी तथा सभी अर्द्ध-सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति के संबंध में संशोधित आरक्षण प्रतिशत निर्धारण संबंधी बिहार अधिनियम-17/2002 के लागू हो जाने के फलस्वरूप नये सिरे से रोस्टर की व्यवस्था आवश्यक हो गयी है।

2. अत: पूर्व में निर्गत सभी रोस्टरों को विलोपित करते हुए सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति के लिए लागू होने वाले आदर्श रोस्टर क्रमश: अनुलग्नक 1 एवं 2 पर संलग्न है। यह सभी राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय रिक्तियों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति में तत्काल लागू होगा।

3. यह रोस्टर तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

अत: अनुरोध है कि पुनरीक्षित आदर्श रोस्टर का दृढ़ता से अनुपालन प्रत्येक नियुक्ति/नियंत्रण पदाधिकारी सुनिश्चित करने की कृपा करें।

विश्वासभाजन

(अरविन्द प्रसाद)

सरकार के सचिव।

अनुलग्नक- यथेक्त।

अनुलग्नक–।

साथी– भर्ती के लिए 100 बिन्दु का आदर्श रोस्टर:–

1.	अनारक्षित	51.	अनारक्षित
2.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	52.	पिछड़ा वर्ग की महिला
3.	अनारक्षित	53.	अनारक्षित
4.	अनुसूचित जाति	54.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
5.	अनारक्षित	55.	अनारक्षित
6.	पिछड़ा वर्ग	56.	अनुसूचित जाति
7.	अनारक्षित	57.	अनारक्षित
8.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	58.	पिछड़ा वर्ग
9.	अनारक्षित	59.	अनारक्षित
10.	अनुसूचित जाति	60.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
11.	अनारक्षित	61.	अनारक्षित
12.	पिछड़ा वर्ग	62.	अनुसूचित जाति
13.	अनारक्षित	63.	अनारक्षित
14.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	64.	पिछड़ा वर्ग
15.	अनारक्षित	65.	अनारक्षित
16.	अनुसूचित जाति	66.	अत्यन्त पिछड़ वर्ग
17.	अनारक्षित	67.	अनारक्षित
18.	पिछड़ा वर्ग की महिला	68.	अनुसूचित जाति
19.	अनारक्षित	69.	अनारक्षित
20.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	70.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
21.	अनारक्षित	71.	अनारक्षित
22.	पिछड़ा वर्ग	72.	पिछड़ा वर्ग
23.	अनारक्षित	73.	अनारक्षित
24.	अनुसूचित जाति	74.	अनुसूचित जाति
25.	अनारक्षित	75.	अनारक्षित
26.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	76.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
27.	अनारक्षित	77.	अनारक्षित
28.	अनुसूचित जाति	78.	अनुसूचित जाति

29.	अनारक्षित	79.	अनारक्षित
30.	पिछड़ा वर्ग	80.	पिछड़ा वर्ग
31.	अनारक्षित	81.	अनारक्षित
32.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	82.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
33.	अनारक्षित	83.	अनारक्षित
34.	अनुसुचित जाति	84.	पिछड़ा वर्ग की महिला
35.	अनारक्षित	85.	अनारक्षित
36.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	86.	अनुसूचित जाति
37.	अनारक्षित	87.	अनारक्षित
38.	पिछड़ा वर्ग	88.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
39.	अनारक्षित	89.	अनारक्षित
40.	अनुसूचित जाति	90.	पिछड़ा वर्ग
41.	अनारक्षित	91.	अनारक्षित
42.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	92.	अनुसूचित जाति
43.	अनारक्षित	93.	अनारक्षित
44.	अनुसूचित जाति	94.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
45.	अनारक्षित	95.	अनारक्षित
46.	पिछड़ा वर्ग	96.	पिछड़ा वर्ग
47.	अनारक्षित	97.	अनारक्षित
48.	अनुसूचित जाति	98.	अनुसूचित जाति
49.	अनारक्षित	99.	अनारक्षित
50.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	100.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग

अनुलग्नक–2

प्रोन्नति संबंधी 100 बिन्दु का आदर्श रोस्टर:–

1.	अनारक्षित	51.	अनारक्षित
2.	अनारक्षित	52.	अनारक्षित
3.	अनारक्षित	53.	अनारक्षित
4.	अनुसूचित जाति	54.	अनारक्षित
5.	अनारक्षित	55.	अनारक्षित
6.	अनारक्षित	56.	अनुसूचित जाति
7.	अनारक्षित	57.	अनारक्षित
8.	अनारक्षित	58.	अनारक्षित
9.	अनारक्षित	59.	अनारक्षित
10.	अनुसूचित जाति	60.	अनारक्षित
11.	अनारक्षित	61.	अनारक्षित
12.	अनारक्षित	62.	अनुसूचित जाति
13.	अनारक्षित	63.	अनारक्षित
14.	अनारक्षित	64.	अनारक्षित
15.	अनारक्षित	65.	अनारक्षित
16.	अनुसूचित जाति	66.	अनारक्षित
17.	अनारक्षित	67.	अनारक्षित
18.	अनारक्षित	68.	अनुसूचित जाति
19.	अनारिक्षित	69.	अनारक्षित
20.	अनारक्षित	70.	अनारक्षित
21.	अनारक्षित	71.	अनारक्षित
22.	अनारक्षित	72.	अनारक्षित
23.	अनारक्षित	73.	अनारक्षित
24.	अनुसूचित जाति	74.	अनुसूचित जाति
25.	अनारक्षित	75.	अनारक्षित
26.	अनारक्षित	76.	अनारक्षित
27.	अनारक्षित	77.	अनारक्षित
28.	अनुसूचित जाति	78.	अनुसूचित जाति

29.	अनारक्षित	79.	अनारक्षित
30.	अनारक्षित	80.	अनारक्षित
31.	अनारक्षित	81.	अनारक्षित
32.	अनारक्षित	82.	अनारक्षित
33.	अनारक्षित	83.	अनारक्षित
34.	अनुसूचित जाति	84.	अनारक्षित
35.	अनारक्षित	85.	अनारक्षित
36.	अनारक्षित	86.	अनुसूचित जाति
37.	अनारक्षित	87.	अनारक्षित
38.	अनारक्षित	88.	अनारक्षित
39.	अनारक्षित	89.	अनारक्षित
40.	अनुसूचित जाति	90.	अनारक्षित
41.	अनारक्षित	91.	अनारक्षित
42.	अनारक्षित	92.	अनुसूचित जाति
43.	अनारक्षित	93.	अनारक्षित
44.	अनुसूचित जनजाति	94.	अनारक्षित
45.	अनारक्षित	95.	अनारक्षित
46.	अनारक्षित	96.	अनारक्षित
47.	अनारक्षित	97.	अनारक्षित
48.	अनुसूचित जाति	98.	अनारक्षित
49.	अनारक्षित	99.	अनुसूचित जाति
50.	अनारक्षित	100.	अनारक्षित

2. Amendment of Section -3 of Bihar Act, 3, 1992- The following new clause (f) shall be added after clause (e) of section-3 of Bihar Act-3, 1992 namely;_
"(f) Appointment on compassionate ground of the dependants of the persons killed in incident of 'Terrorism/Extremist/Cast antagoinsm and Communal violence/Electroal violence. Massacre other incident of violence."
3. Amendment of Section-4 of Bihar Act 3, 1992- The following third provision shall be added to sub-section (2) of section-4 of the said Act.
"Provided further that the candidate residing out of the State of Bihar shall not claim for benefits of reservation under this Act."
4. Repeal and saving- (I) All such order/Resolutions/ Circulars/Provisons of any Act which are inconsistent to this amendment Act, shall be deemed to be repealed to this extent.
(2) Notwithstanding such repeal under sub-section (I) of this section anything done or any action taken according to letter no. 70, dated the 11th June, 1996 shall be deemed legal, as if this Act were in force on the day which letter no. 70, dated the 11th June, 1996 was in force.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेश कुमार
सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 भाद्र, 1925 (श0)
(सं0 पटना, 492) पटना, बुधवार, 10 सितम्बर 2003

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

9 सितम्बर 2003

संख्या-एल0 जी0 1-08103 जेल 187 - बिहार विधान मंडल द्वारा यथा पारित निम्नलितिख अधिनियम जिस पर राज्यपाल 5 सितम्बर, 2003 को अनुमति दे चुका है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

(बिहार अधिनियम 15, 2003)

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम 3,19692) (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौवनवे वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।

(1) यह नियम बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़ें वर्गों के लिये) (संशोधन) अधिनियम 2003 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) इस अधिनियम की धारा 2 दिनांक, 1 अप्रैल 1990 तथा धारा 3 एवं 4, दिनांक 11 जून 1996 के प्रभाव से प्रतृत्त होगी।

2. बिहार अधिनियम 3, 1992 की धारा - 3 का संशोधन :- बिहार अधिनियम-3, 1992 की धारा-3 के खंड (ड़) के बाद निम्नलिखित नया खंड ''च'' जोड़ा जायेगा तथा-

(च) ''आतंकवादी/उग्रवादी/जातीय अनबन या सांप्रदायिक दंगा/ निर्वाचन संबंधी हिंसा/जनसंहार अन्य हिंसक घटनाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों''।

3. बिहार, अधिनियम-3, 1992 के धारा 4 का संशोधन :- निम्नलिखित तीसरा परन्तुक उक्त अधिनियम की धारा-4 की उप-धारा (2) में जोड़ा जायेगा:-

''परन्तु और कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेगे।

4. निरसन एवं व्यावृत्ति:-

(1) एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत ऐसे सभी आदेश संकल्प परिपत्र अधिनियम के प्रावधान जो संशोधन अधिनियम से अंतर्गत हो, इस हद तक नियसित समझे जायेंगे।

(2) इस धारा की उक्त उप-धारा (1) के अधीन ऐसे निरसन के होते हुए भी पत्रंक-70 दिनांक 11 जून 1996 के अनुसार किया गया कुछ भी, या कृत कार्यवाई वैधमान जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन से प्रवृत था जिस दिन से पत्रांक 70, दिनांक 11 जून 1996 लागू था।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
राजेश कुमार
सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार गजट (असाधारण), 10 सितम्बर 2003

संख्या - एल0 जी0 1-0812003 जेंज 188- बिहार विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा 5 सितम्बर 2003 को अनुमत बिहार पदों एवं सेवओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनिय, 2003 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्रधिकार में इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता हैं जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
राजेश कुमार
सरकार के संयुक्त सचिव।

(bihar Act 15, 2003)

THE BIHAR RESERVATION OF VACANCIES ..... AND SERVICE FOR SCHEDULED CAST.....(AMENDMENT) ACT, 2003.

ACT

TO AMEND THE BIHAR RESERVATION OF VACANCIES IN POSTS AND SEEWOES (FOR SCHEDULED CLASSES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES) ACT, 1991 (BIHAR ACT-3 1992) (As AMENDED FROM TIME TO TIME).

BE, it enacted by the Legislature of the state of the state of Bihar in the fifty fourth year of Republic of India as follows:-

1. Shorttitle, extent and commencement - (1) This Act may be called in Bihar Reservation or vacancies in posts and services (for Scheduled Casts, Scheduled Tribes and other Backward Classes) (Amendment) Act. 2003,

(20 It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) Section-2 of this Act shall come into force with effect from 1st April 1990 and section 3 and 4 with effect from 11th June, 1996.

पत्रंक संख्या- 11/आ 2. आ. नी-03/2006 का0 3025

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव

सभी विभागाघ्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी ज़िला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक- 11 सितम्बर, 2007

विषय :- संवर्ण हिन्दू पिता और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की माता से उत्पन्न संतान की जाति का निर्धारण के यहाँ लेने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं0- 605 दिनांक - 11.12.1985 (परिपत्र सं0- 99 दिनांक- 03.03.1978 का संशोधन) द्वारा प्रावधान किया गया है कि वैध विवाहित संवर्ण हिन्दू पिता और अनुसूचित जाति की माता से उत्पन्न संतान कोटी अनुसूचति जाति की श्रेणी में शुमार किया जा सकता है एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं0-106 दिनांक- 03.03.1979 द्वारा प्रावधान किया गया है कि सवर्ण हिन्दू पिता एवं अनुसूचित जनजाति की माता तथा गै़र आदिवासी क्रिश्चियन पुरूष एवं क्रिश्चियन आदिवासी माता से उत्पन्न संतान को यदि अनुसूचित जनजाति का समुदाय अनुसूचित जनजाति के रूप में स्वीकार कर ले तो उसे अनुसूचित जनजाति का दर्ज़ा दिया जा सकता है।

2. सवर्ण हिन्दू एवं क्रिश्चियन पिता और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचति जनजाति की माता से उत्पन्न संतान की जाति का निर्धारण एवं सामाजिक मान्यता विषयक बिहार विधान सभा सचिवालय की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजनति कल्याण समिति 1987-88 का 19वाँ प्रतिवेदन में अनुशंसा की गई है कि चूँकि समाज पितृसतात्मक है, इसलिए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति माता तथा गै़र अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति पिता से उत्पन्न संतान को सामान्य रूप से पिता की जाति का माना जाय।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा सिविल अपील नं0-6445/2000, अंजन कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में दिनांक-14.02.2006 को पारित आदेश में व्यवस्था की गई है कि सवर्ण हिन्दू पिता एवं अनुसूचित जाति/जनजनति की माता से उत्पन्न संतान न तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दर्जे का दावा कर सकते हैं और न ही सरकारी नौकरियों में आरक्षित श्रेणी के तहत रोज़गार पा सकते है।

4. अत: उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि गै़र अनुसूचित जाति और गै़र अनुसूचित जनजाति के पिता और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की माता से उत्पन्न संतान को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि की मान्यता नहीं दी जाय।

5. एतद् संबंधी पूर्व निर्गत परिपत्र संख्या-99 दिनांक- 03.03.1978, परिपत्र सं0-605 दिनांक- 11.12.1985 तथा परिपत्र सं0- 106 दिनाक- 03.03.1979 को रद्द किया जाता है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक- यथेक्त। (अरविन्द प्रसाद)

सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
संकल्प

विषय :- राज्य सराकर की विभिन्न सेवाओं/संवर्गो आदि में प्रोन्नति के लिए कोटि-वेतन (Grade-Pay) आधारित कालावधि का

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 280 दिनांक 05.07.2002 द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं/संवर्गों आदि में प्रोन्नति के लिए केन्द्र सरकार के अनुरूप वेतनमान आधारित कालावधि का निर्धारण किया गया है। इसके अतिरिक्त विभागीय संकल्प सं0 2129 दिनांक 19.06.2007 द्वारा धारित पद एवं पूर्व के पद को जोड़कर निर्धारित कालावधि पूरी हो जाने पर भी अगले प्रोन्नत पद पर प्रोन्नति दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

2. छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में भारत सरकार के अधीन कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन सं0 ए0बी0-14017/61/2008-ईस्ट-(आर0आर) दिनांक 24.03.2009 द्वारा कोटि-वेतन (Grade Pay) के आधार पर कालावधि पुनर्निर्धारित की जा चुकी है। चूँकि राज्यधीन सेवाओं में भी कोटि-वेतन (Grade Pay) आधारित वेतन पुनरीक्षण किया जा चुका है। अत: तत् आलोक में कोटि वेतन (Grade Pay) आधारित कालावधि का पुनर्निर्धारण आवश्यक हो गया है।

3. अतएव सम्यक् विचारोपरांत सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के अधीन एक स्तर की विभिन्न सेवाओं/संवर्गों आदि में भारत सरकार के अनुरूप कोटि वेतन (Grade Pay) आधारित निम्नलिखित कालावधि व्यवस्था समान रूप से तत्कालिक प्रभाव से लागू की जाय:-

ii- उपर्युक्त कोटि वेतन (Grade Pay) आधारित कालावधि तालिका मात्र निम्न कोटि वेतन (Grade Pay) से ठीक ऊपर कोटि वेतन (Grade Pay) में प्रोन्नति के लिए है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि किसी निम्न कोटि-वेतन से ठीक ऊपर के कोटि वेतन (Grade Pay) को लाँघ (jump) कर दूसरे या तीसरे ऊपर के कोटि वेतन (Grade Pay) में प्रोन्नति दे दी जायेगी। उदाहरणत: यदि किसी सेवा संवर्ग के पद श्रृंखला में कोटि वेतन (Grade Pay) 2400 से 2800 एवं कोटि वेतन (Grade Pay) 2800 से 4200 का प्रोन्नत पद उपलब्ध हो तो तालिका की कंडिका-5 और 7 के अनुसार किसी कर्मी विशेष को 2400 से 4200 कोटि वेतन (Grade Pay) के कोटि वेतन (Grade Pay) में प्रोन्नति हेतु (5+6)11 वर्ष की न्यूनतम कालावधि पूरी करनी होगी, न कि कंडिका-6 के अनुसार 2400 के कोटि वेतन (Grade Pay) से 4200 के कोटि वेतन (Grade Pay) में प्रोन्नति हेतु 10 वर्ष की कालावधि। उपर्युक्त कालावधि मात्र प्रोन्नति के लिए विचार करते समय निम्नतर कोटि वेतन (Grade Pay) में संबंधित कर्मी के द्वारा की जाने वाली न्यूनतम आवश्यक सेवा अवधि (कार्यानुभव) है। इसका यह कदापि अर्थ नहीं है कि कालावधि के पूर्ण होने पर सभी कर्मियों को वरीयतर कोटि वेतन (Grade Pay) में आवश्यकता आधारित पदों की रिक्ति एवं अन्य आवश्यकताओं पर नियमानुसार विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

iii. कालावधि का एकरूप निर्धारण राज्य सरकार के अधीन सभी सेवाओं/संवर्गो एवं पद समूहों आदि में केवल आवश्यकता आधारित प्रोन्नतियों के लिए समान रूप से लागू होगा। परंतु सुनिश्चित वृत्ति प्रोन्नतियों योजना के तहत् प्रोन्नतियों तथा राजकीयकृत् विघालयों के शिक्षकों के लिए प्रोन्नति में यह कालावधि लागू नहीं होगी।

iv- निर्धारित न्यूनतम कालावधि पूरा नहीं हो सकने के कारण जहाँ प्रोन्नति देना सम्भव नहीं हो पाता हो वहाँ धाारित पद एवं उससे एक स्तर के नीचे के पद के लिए निर्धारित कालावधि को जोड़कर दोनों पदों/कोटि वेतन (Grade Pay) की कुल कालावधि यदि पूरी होती है और धारित पद पर न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव पूरा हो जाता है तो ऐसे मामलों में प्रोन्नति दी जा सकती है। दृष्टान्तस्वरूप रू. 6600/- से रू. 7600/-8700/ के कोटि वेतन (Grade Pay) में प्रोन्नति के लिए कालावधि 5 वर्ष निर्धारित है और रू. 7600/- के कोटि वेतन (Grade Pay) में प्रोन्नति के लिए 5 वर्ष की कालावधि निर्धारित है। यदि रू. 7600/- के कोटि वेतन (Grade Pay) से रू0 8700/- के कोटि वेतन (Grade Pay) में प्रोन्नति विचारणीय हो तो रू. 7600/- के कोटि वेतन (Grade Pay) में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्राप्त रहने की स्थिति में निम्न कोटि वेतन (Grade Pay) (या अनुनरीक्षित वेतनमान) वाले पद की कार्यावधि और धारित का कोटि वेतन (Grade Pay) (रू. 7600/-) के पद की कार्यावधि जोड़कर कुल 10 वर्षों की कालावधि पूरी होने पर प्रोन्नति दी जा सकेगी।

v. कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली कार्यालय ज्ञापन सं. ए.बी./14017/7/2008-स्थापना (आर.आर.) दिनांक 17.01.2008 में निहित प्रावधानों के आलोक में यथासमय एवं यथास्थिति राज्य सरकर उपर्युक्त रूप में निर्धारित कालावधि में छूट दे सकेगी। जहाँ तक छूट की मात्रा का प्रश्न है, प्रोन्नत पद के कुल स्वीकृत बल की जितनी प्रतिशत रिक्ति होगी, उस पद हेतु निर्धारित कालावधि में उतने प्रतिशत तक छूट दी जा सकेगी, परन्तु यह छूट निर्धारित कालावधि के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उदाहरणत: यदि कोटि वेतन (Grade Pay) रू. 5400/- से कोटि-वेतन रू0 6600/- में प्रोन्नति विचाराधीन हो तो उपर्युक्त तालिका के अनुसार निर्धारित कालावधि (5 वर्ष मे अधिकतम 2½ वर्ष की छूट दी जा सकेगी। यह छूट आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्ग के कर्मियों को समान रूप से प्राप्त होगी। प्रोन्नति हेतु निर्धारित अन्य शर्तें यथा विभागीय परीक्षा के उत्तीर्णता, सेवा सम्पुष्टि आदि लागू रहेगी। कालावधि में छूट हेतु प्रशासी विभाग के प्रस्ताव पद सामान्य प्रशासन विभाग के माधयम से मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

vi. यदि किसी सेवा संवर्ग की नियमावली में कालावधि संबंधी कोई प्रावधान हो तो प्रशासी विभाग उसे तद्नुरूप संशोधित कर लेगा। नियमावली में ऐसा संशोधन किये जाने हेतु मंत्रिपरिषद के समक्ष संलेख के माधयम से प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस संलेख में मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है। प्रशासी विभाग मात्र विधि विभाग से विधिक्षा कराकर नियमावली में कालावधि संबंधी संशोधन संकल्प के निर्गमन की तिथि के प्रभाव से कर सकेंगे।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाधयक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी ज़िला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(सरयुग प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–11/वि04–कला0नि0छू0–03/2001सा0 1800/ पटना–15, दिनांक 9.6.2011

प्रतिलिपि:– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाद, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 1000 (एक हज़ार) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशाखा–11) को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 11/वि04–काला0नि0/छ0–03/2001सा01800/ पटना–15, दिनांक 9.6.2011

प्रतिलिपि:– सभी प्रधान सचिव/सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी ज़िला पदाधिकरी / मुख्य मंत्री सचिवालय / राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / सचिव कर्मचारी चयन आयोग, पटना / परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद्, पटना / सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना / सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना / सचिव, राज्य महादलित आयोग, पटना / लोकायुक्त के कार्यालय, बिहार, पटना / निबंधक, पटना उच्च न्यायलय, पटना / बिहार विधान सभा, पटना / बिहार विधान परिषद पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0
सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्रं संख्या-11/आ02-आ0नी0-10/2006 का0- 2803

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

अनिल कुमार झा,

सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी ज़िला पदाधिकारी।

पटना- 5, दिनांक- 03.10.2006

विषय : पदों का समूहीकरण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के पारित होने के फलस्वरूप उत्तरवर्ती बिहार हेतु राज्याधीन सभी स्तर एवं सभी प्रकार की सेवाओं में नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु बिहार अधिनियम 17/2002 द्वारा संशोधित आरक्षण प्रतिशत का निर्धारण किया जा चुका है। उक्त अधिनियम के आलोक में विभागीय परिपत्र संख्या - 458 दिनांक - 30.09.2002 द्वारा मॉडल रोस्टर जारी करते हुए अनुसूचित जनजाति को 1 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर रोस्टर बिन्दु-44 अनुमान्य कराया गया है। इसी प्रकार यथास्थिति अन्य आरक्षित वर्गो को विभिन्न रोस्टर बिन्दु अनुमान्य कराये गये।

2. 44वाँ रोस्टर बिन्दु अनुसूचित जनजाति को अनुमान्य कराये जाने की स्थिति में छोटे स्थापना (जहाँ का स्वीकृत बल-44 से कम हो) में अनुसूचित जनजाति के उचित प्रतिनिधित्व देने में व्यवहारिक कठिनाई हो रही है।

3. उल्लेखनीय है कि विभागीय परिपत्र संख्या-458 दिनांक-30.09.2002 द्वारा जारी मॉडल रोस्टर सभी राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय रिक्तियों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति में तत्काल प्रभाव से लागू है। इस क्रम में उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक - 21748 दिनांक 06.12.1972 के द्वारा निर्गत पदों के समूहीकरण संबंधी निदेश के प्रभावी अनुपालन हेतु उनका पुनरावलोकन आवश्यक प्रतीत होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत के संविधान में हुए 73वें एवं 74वें संशोधन के फलस्वरूप सृजित पंचायती राज संस्थाओं के माधयम से विभिन्न स्तरों पर होने वाली नियुक्तियों में आरक्षण प्रभावी ढंग से लागू करने में भी पदों के समूहीकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

4. अतः उपर्युक्त परिस्थिति में बिहार अधिनियम–3/92 की धारा–14 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रसंगाधीन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप इसके प्रभावी अनुपालन हेतु ज़िला एवं ज़िला स्तर के नीचे के छोटे स्थापना में आरक्षित कोटि के सभी वर्गों विशेषकर अनुसूचति जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व देने हेतु पदों के समूहीकरण का निर्णय लिया गया है जिसके अनुरूप समान प्रकृति, वेतन, सेवाशर्ते, योग्यता, कैडर, पद श्रृंखला आदि वाले लघु स्वीकृत बल वाले पदों का समूहीकरण कर ज़िला स्तरीय आदर्श रोस्टर के आधार पर रोस्टर किलयरेंस की कार्रवाई की जा सकेगी। इस समूहीकरण में बिहार अधिनियम–392 की धारा 4 (1) के आलोक में आरक्षित वर्ग हेतु निर्धारित 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिसीमा अक्षुण्ण रहेगी।

5. पदों के उपर्युक्त समूहीकरण में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अनुमति आवश्यक होगी।

6. पूर्व निर्गत एतद् संबंधी आदर्श, परिपत्र के असंगत अंश इस हद तक रद्द/संशोधित समझे जायेंगे।

विश्वासभाजन

(अनिल कुमार झा)
सरकार के अवर सचिव।

पत्रं संख्या-11/आ04-आ0नी0-10/1995 का0- 117

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस. एन. विश्वास

आयुक्त एवं सचिव

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव

सभी सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी ज़िला पदाधिकारी।

पटना- दिनांक- 30.09.1995

विषय : सरकारी सेवाओं में नियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आदर्श रोस्टर में अनुपालन के संबंध में।

महाश्य,

निदेशानुसार उपर्युक्त/विषय के संबंध में कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या 15/आ.आ. को 0145/89-वां. 38 दिनांक 21 मार्च,1991 द्वारा राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित किया गया था कि नियुक्त एवं प्रोन्नति में आरक्षित वर्ग का प्रतिशत पूरा होने पर भी रिक्ति उपलब्ध होने पर रोस्टर प्रणाली हर हालत में लागू होगी।

2. माननीय सर्वोच्य न्यायलय ने में रिट पत्रिका सिविल संख्या- 79/1979 (आर. के सबरवाल एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य) में दिनांक 10.02.1995 को पारित आदेश से न्यायलय निर्देश दिया है कि किसी सेवा/संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति के मामले में आरक्षित वर्ग के निर्धारित प्रतिशत के पूरा होने के उपरांत रोस्टर का संचालन स्थगित रहेगा, तत्पाश्चात् किसी सेवा/संवर्ग में सेवा निवृति/प्रोन्नति/मृत्यु अथवा अन्य कारणों से जिस वर्ग की रिक्तियां उपलब्ध होगी उन रिक्तियों को उसी वर्ग से भरा जा सकेगा।

3. माननीय उच्च न्यायलय, पटना रिट याचिका संख्या - सी.डब्लू.जे.सी. 1151/1991 (विजय कुमार सिन्हा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) सी. डब्लू. जे. सी. सं. - 7009/1991 (श्री के. पी. श्रीवास्तव एवं के. डी. भगत बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में माननीय सर्वोच्य न्यायालय के उपर्युक्त न्याय-निर्देश के आलोक में दिनांक - 6.4.1995 करे समेकित रूप में पारित आदेश से कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या -15/आ. आ. को. 0145/89 का. - 38 दिनांक 21 मार्च, 1991 को निरस्त कर दिया है।

4. उपर्युक्त न्याय-निर्देश के आलोक में सरकार ने कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र

संख्या 15/ आ. आ. को. 0145/89 कर. 38, दिनांक 21 मार्च, 1991 को निरस्त रकते हुये निर्णय लिया है कि किसी सेवा/संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति मे आरक्षित वर्ग का निर्धारित प्रतिशत पूरा होने के उपरांत संबंधित आरक्षित वर्ग के लिए रोस्टर का संचालन स्थगित रहेगा। इसके पश्चात् सेवा-निवृति/प्रोन्नति/मृत्यु एवं अन्य कारणों से जिस वर्ग की रिक्ति उपलब्ध होगी उस रिक्ति को उसी वर्ग से भरा जायेगा। जिस वर्ग से रिक्ति उपलब्ध हुई है, अर्थात् सामान्य वर्ग की रिक्ति सामान्य वर्ग से एवं आरक्षित वर्ग की रिक्ति को संबंधित आरक्षित वर्ग से ही भरा जायेगा।

5. किसी सेवा/संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति के मामले में आरक्षित वर्ग की रिक्तियों में उनकी अनुपलब्धता की स्थिति में आरक्षित वर्ग के लिये पद नियमानुसार अग्रणीत रहेगी।

6. यह आदेश उन सभी मामलों में लागू होगा, जिसमें नियुक्ति/प्रोन्नति का आदेश निर्गत नहीं किया गया है।

विश्वासभाजन
(एस. एन. विश्वास)
आयुक्त एवं सचिव।

पत्रं संख्या-11/वि1-विविध-42/2002 का. 970

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद

सदस्य-सचिव।

सेवा में,

आयुक्त प्रमंडल, पटना।

पटना- दिनांक- फरवरी, 2008

विषय : ज़िला पुलिस बल में आरक्षी बल के पद पर नियुक्ति हेतु रोस्टर किल्यरेंस के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर जोनल, आई. जी., पछना से दूरभाष पर हुए वार्ता के संदर्भ में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के संकल्प सं.716 दिनांक 15.12.1982 के संबंध में निम्नांकित स्पष्टीकरण संसुचित किए जा रहे है:-

(।) ज़िला एवं उससे नीचे स्तर के नियुक्ति के क्रम में -रोस्टर क्लियरेंस ज़िला पदाधिकारी द्वारा किया जायगा (जिसके नियुक्ति पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी न हो) ।

(।।) क. वैसे पद जिसके नियुक्ति पदाधिकारी, ज़िला पदाधिकारी हों } रोस्टर क्लियरेंस प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा किया जायगा।

ख. प्रमंडलीय स्तरीय पद में नियुक्ति के क्रम में

जहाँ तक आरक्षी बल के पद पर नियुक्ति के क्रम में रोस्टर क्लियरेंस का प्रश्न है, चूंकि आरक्षी बल के नियुक्ति पदाधिकारी आरक्षी अधीक्षक (ज़िला पदाधिकारी से इतर- Other than District Magistrate) होते हैं, अत: उक्त पद का रोस्टर क्लियरेंस ज़िला पदाधिकारी द्वारा किया जायगा।

विश्वासभाजन,

हा0/-

(सरयुग प्रसाद)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-संख्या-11/वि.।-विविध-42/2000 का. 970/ पटना-15 दिनांक फरवरी, 2008

प्रतिलिपि- अनुलग्नक की प्रति सहित जोनल, आई. जी. पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हा0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - संख्या-11/वि.।-विविध-42/2000 का. 970/ पटना-15 दिनांक 19 फरवरी, 2008

प्रतिलिप - सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं ज़िला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्क कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

पत्रं संख्या-11/वि1-विविध-42/2002 का. 2129/19.06.07

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

<u>संकल्प</u>

पटना, 15 दिनांक–15.06.2007

विषयः– राज्य सरकार के विभिन्न सेवाओं/ संवर्गों/ पदों आदि में प्रोन्नति के लिए वर्तमान आधारित कालावधि व्यवस्था का अंगिकरण कालावधि की गणना के संबंध में।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या–280, दिनांक– 05.07.2002 के अंतर्गत राज्य सरकार की सेवाओं/ संवर्गों/ पदों में वेतनमान आधारित कालावधि का निर्धारण किया गया है। किन्तु कतिपय विभागों/कार्यालयों द्वारा ध्यान आकृष्ट किया गया है कि उपर्युक्त संकल्प में निर्धारित कालावधि के अनुसार प्रोन्नति पर विचार करते समय संबंधित पद पर प्रोन्नति हेतू निर्धारित कालावधि पूरी नहीं करने के कारण अधिकतर पद रिक्त रह जाते हैं और रिक्तियों के कारण कार्य सम्पादन में कठिनाई होती है। उपर्युक्त कठिनाईयों का निराकरण आवश्यक समझा गया है। ताकि रिक्तियों को समय पर भरा जा सके और फलस्वरूप विभागों / कार्यालयों का कार्य सूचारू रूप से संपादित होते रहें।

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि संकल्प संख्या–280, दिनांक–05.07.2002 के तहत निर्धारित न्यूनतम कालावधि पूरा नहीं हो सकने के कारण जहाँ प्रोन्नति देना संभव नहीं हो पायी है। वहाँ धारित पद एवं उससे एक स्तर के नीचे के पद के लिए निर्धारित कालावधि/ कालावधि को जोड़कर दोनों पदों/ वेतनमानों की कुल कालावधि यदि पूरी होती है और धारित पद पर न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव हो जाता है तो ऐसे मामले में प्रोन्नति दी जा सकती है। दृष्टान्त स्वरूप वेतनमान रू0 10,000–15,200 से 12,000–16,000 के वेतनमान में प्रोन्नति के लिए कालावधि पॉच वर्ष निर्धारित है और 12,000–16,000 के वेतनमान से 14,300–18,300 में प्रोन्नति विचारणीय हो तो 12,000–16,500 के वेतनमान में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव प्राप्त रहने की स्थिति में निम्न वेतनमान (10,000–15,200) की कार्यावधि और धारित वेतनमान 12,000–16,500 की कार्यावधि को जोड़कर कुल दस वर्ष की कालावधि पूरा होने पर प्रोन्नति दी जा सकती है।

3. पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या–280, दिनांक–05.07.2012 के प्रभाव से इस हद तक संशोधित समझा जाएगा।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए और इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(आमिर सुबहानी)
सरकार के सचिव

पत्रं संख्या-11/आ.2-आ.नी.-08/2007 का 745

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी

सरकार के सचिव

सेवा में,

प्रधान सचिव,

जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग

बिहार, पटना।

पटना-15 दिनांक- 05.02.2008

विषय : 85वाँ संविधान संशोधन के आलोक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की परिणामी वरीयता की तिथि का निर्धारण एवं प्रोन्नति में वरीयता का लाभ देने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंग में कहना है कि 85वाँ संविधान संशोधन के आलोक में अनुसूचति जाति/अनुसूचित जनजाति, के सरकारी सेवकों के वरीयता निर्धारण के संबध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधाार विभाग द्वारा संकल्प संख्या 213 दिनांक 07.06.2002 निर्गत किया गया है, किन्तु अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, कर्मचारी एसोसिएशन महासंघ, नई दिल्ली, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राज्य कार्यालय बिहार एवं झारखण्ड, पटना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, कर्मचारी संघ, बिहार द्वारा बार-बार यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि 85वाँ संविधान संशोधन के आलोक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मियों की परिणामी वरीयता की तिथि का निर्धारण एवं प्रोन्नति में वर्गों को वरीयता का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है।

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत उक्त संकल्प संख्या 213 दिनांक 07.06.2002 की कांडिका-3 (1) (ख) जिसमें उक्त निर्णय 17 जून, 1995 से लागू होगा,'' पर कतिपय कार्य विभागों का ''उक्त नहीं होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इस विषय को पुन: स्पष्ट करते हुए कहना है कि भारत संघ बनाम पाल सिंह चौहान आदि के मामले में दिनांक 10.10.1995 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश से जो आरक्षण नीति प्रभावित हुई थी उसके निदान के लिए केन्द्र सरकार ने आदेश पारित होने के पूर्व अर्थात् 17.06.95 से ही 85वाँ संविधान संशोधन कर आरक्षण रोस्टर के आधार पर प्रोन्नत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवकों की वरीयता निर्धारण के लिए उसके पूर्व की आरक्षण प्रणाली का लगातार कायम रखा है, अर्थात् किसी पद विशेष पर प्रोन्नति के फलस्वरूप 17.06.1995 के पूर्व जिन कर्मियों की वरीयता थी, वह अक्षुण्ण रहेगी और तद्नुसार अगले पदों पर प्रोन्नति दी जाएगी तथा वरीयता में आने पर प्रोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की गणना गै़र आरक्षित वर्ग में की जाएगी। विभागीय परिपत्र संख्या 4611 दिनांक 11.03.1972 द्वारा भी प्रावधान किया जा चुका है कि ''प्रोन्नत पदाधिकारियों की वरीयता वही रहेगी जो प्रोन्नति के पहले पूर्व पद पर थी।

अत: अनुरोध है कि 85वाँ संविधान संशोधन के आलोक में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 213 दिनांक 07.06.02 एवं उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में वरीयता निर्धारण की अपेक्षित कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव

पत्रं संख्या-11/वि.5-न्याय-09/98का 7808

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी ज़िला पदाधिकारी

पटना-15 दिनांक- 25.11.2008

विषय : अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) के आरक्षण के दायरे में सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों/(सम्पन्न वर्ग) को बाहर रखने के लिए आय के मानदण्डों का संशोधन।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक - 154 दिनांक 28.07.2000 द्वारा निर्देशित किया जा चुका है कि जब तक क्रीमीलेयर को राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण की सुविधा से अलग रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा नये निदेश जारी नहीं किये जाते हैं, तब तक इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेश का अनुपालन राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण के संबंध में किया जायेगा। तद्आलोक में विभागीय पत्रांक-246 दिनांक - 09.06.2004 द्वारा आय/सम्पत्ति का निर्धारण 2.5 लाख निर्धारित किया गया।

भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली के पत्रांक-36033/3/2004-स्था0 (आरक्षण) दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 द्वारा आय/सम्पत्ति के निर्धारण को संशोधित करते हुए 2.5 लाख से बढ़ाकर 4.5 लाख किया गया है, जिसे राज्य में लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

अत: भारत सरकार के उक्त पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय एवं अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनु0 यथावत्।

विश्वासभाजन,

सरकार के उप सचिव

संख्या-36033/2004-स्था. (आरक्षण)

बिहार सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय — नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) — दिनांक - 14 अक्टुब, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय : अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) के आरक्षण के दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्गों) को बाहर रखने के लिए आय के मानदण्डों में संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 08 सितम्बर 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या- 39012/22/93- स्थापना (अनु. जा.) की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसमें आम बातों के साथ-साथ यह प्रावधान था कि उन व्याक्तियों के पुत्र और पुत्रियों जिनकी लगातार तीन वर्षों तक की कुल वार्षिक आय एक लाख रूपये अथवा उससे अधिक है, सम्पन्न वर्गों में आते है और वे, अन्य पिछड़ें वर्गों को उपलब्ध आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने के हक़दार नहीं हैं। इस विभाग के दिनांक 09.03.2004 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के द्वारा सम्पन्न वर्ग की निर्धारण करने के लिए आय की सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रूपये कर दिया गया था। अब यह निर्णय लिया गया है कि अन्य पिछड़े वर्गों में से सम्पन्न वर्गों का निर्धारण करने के लिए आय की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 4.5 लाख कर दिया जाए। तदनुसार, उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची की श्रेणी vi की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर एतद् द्वारा निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाती है।

श्रेणी	श्रेणी का विवरण	वे व्यक्ति जिन पर आरक्षण के क्षेत्र से बाहर रखे जाने का नियम लागू होगा।
vi	आय/सम्पत्ति का निर्धारण	(क) उन व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियों, जिनकी लगातार तीन वर्षों तक की कुल वार्षिक आय 4.5 लाख रूपये अथवा उससे अधिक है अथवा सम्पत्ति-कर अधिनियम में यथानिर्धारित छूट सीमा से अधिक की सम्पत्ति रखते है। (ख) श्रेणी- I, II, III और V-क में आने वाले ऐसे व्यक्ति जो अरक्षण का लाभ पाने के हकदार हैं, परन्तु जिनकी अन्य श्रोतों से आय अथवा सम्पत्ति जो उन्हें उपर्युक्त (क) में उल्लिखित आय/सम्पत्ति के मानदण्ड के भीतर लाएगी, के पुत्र और पुत्रियों।
	स्पष्टीकरण-	वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को नहीं जोड़ा जाएगा।

2. इस कार्यालय ज्ञापन के प्रावधान 3 अक्टूबर 2008 से लागू होंगें।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन, की विषय-वस्तु को सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की जानकारी में ला दें।

(के. जी. वर्मा)
निदेशक
दूरभाष: 23092185

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. आर्थिक कार्य-विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली
3. आर्थिक कार्य-विभाग (बीमा-प्रभाग), नई दिल्ली
4. लोक-उद्यम/उद्यम-विभाग, नई दिल्ली।

5. रेल-बोड।
6. संघ लोक सेवा आयोग/भारत की उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/ लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्दीय सर्तकता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग।
7. कर्मचारी चयन आयोग, केन्द्रीय सरकारी कार्यालय परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली।
8. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
9. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली।
10. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट-।, भीकाजी कामा प्लेस, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली।
11. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक 10, बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली- 110002
12. सूचना और सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
13. अतिरिक्त प्रतियां-400

प्रतिलिपि:

सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव।
सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

No.36033/3/2004-Estt. (res.)
Government of India
Ministry of Personnel Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
New Delhi, dated the 14h October, 2008

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Revision of income criteria to exclude socially advanced personal/sections (Creamy Layer) from the purview of reservation for Other Backward Classes (OBCs)

The undersigned is directed to invite attention to this Department's O.M. No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 8th September, 1993 which inter alia provided that sons and daughter of persons having gross annual income of Rs. 1 Lakh layer or above for a period of three consecutive years would fall within the creamy layer and could not be on titled to got the benefit or reservation available to the Othrr Backward Classes. The limit of income for determining the creamy layer status was raised to Rs. 2.5 lakh vide this Department's OM of Even number dated 9.3.04. It has now been decided to raise the income limit from Rs. 2.5 lakh to Rs. 4.5 lakh per annum for determining the creamy layer amongst the OBCs. Accordingly the following entry is hereby substituted for the existing entry against Category VI in the Schedule to the above referred O.M.

Category	Description of Category	To whom the rule of exclusion will apply
VI	income/Wealth Test	Son(s) and daughter(s) of (a)Persons having gross annual income of Rs. 4.5 lakh or above the exemption limit as prescribed if, the Wealth Tax Act for period of three consecutive years. (b)Persons in Categories I,II,III and VA who are not disentitled to the benefit of reservation but have income from other sources of wealth which will bring them within the income/wealth criteria mentioned in (a) above. Explanation:- Income from salaries or agricultural land shall not be clubbed.

पत्रं संख्या-11/बा.4-आ0नी0-03/2000 का. 6706

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी विश्वविद्यालय के कुलपति
सभी ज़िला पदाधिकारी
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना, परीक्षा नियंत्रक
बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद्,
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना,
निबंधक, महाधिवक्ता बिहार का कार्यालय
उच्च न्यायालय, पटना।

पटना-15 दिनांक- 01.10.2008

विषय : नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के तहत नि:शक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों हेतु उपयुक्कता मानदण्डों में छूट संबंधी स्पष्टीकरण।

महोदय,

निदेशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 62 दिनांक 05.01.2007 की कंडिका-14 में निहित प्रावधानानुसार नि:शक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों हेतु आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए मानदण्डों में छूट देकर इस श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन किया जा सकता है, परन्तु यह छूट किस हद तक दी जाय, यह स्पष्ट नहीं है, जो पृच्छा का विषय रहा है।

सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न प्रतियोगताा परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं महिला वर्ग हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक को नि:शक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए भी निर्धारित किया गया।

इस प्रकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का संकल्प संख्या- 15838 दिनांक 22.12.90 एवं 10258 दिनांक 05. 08.91 जिसे संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16.07.07 द्वारा समेकित रूप से परिचारित किया गया है, के अनुरूप नि:शक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 32 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार उनके चयन हेतु नियुक्ति/अनुशंसी पदाधिकारी यथा मानदण्डों में भी छूट देकर नियुक्ति की कार्रवाई कर सकते हैं।

विश्वासभाजन,
(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

पत्रं संख्या–11/आ.4–आ.नी.–03/2000 का0 3433

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति

सभी जिला पदाधिकारी

सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना, परीक्षा नियंत्रक

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद्,

सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना,

सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना

सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए आयोग, पटना

सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार पटना

निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय

उच्च न्यायालय, पटना।

पटना–15 दिनांक– 09.10.2008

विषय : सी0डब्लू0जी0सी0– 9229/2008– सुभाष चन्द्र बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 17.7.2007 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम– 1995 के तहत् दृष्टिहीनों को विभिन्न परीक्षाओं में श्रुति लेखक उपलब्ध कराने आदि के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार कहना है कि नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम–1995 के तहत् सरकारी सेवओं की नियुक्ति/प्रोन्नति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में विकलांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा चुका है। इस निमित विभागीय स्तर से संकल्प संख्या–62, दिनांक–5.1.2007 द्वारा विस्तृत दिशा–निदेश जारी किये जा चुके हैं।

पूर्व में दृष्टिहीनों को विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में श्रुति लेखक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान होने का प्रसंग मिलता है। इसी प्रकार का प्रावधान करने का निदेश विषयांकित मुकदमा में माननीय उच्च न्यायालय,

पटना द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम–1995 की धारा–31 में भी यह प्रावधान है, जिसके अनुसार सभी शैक्षणिक संस्थायें नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए श्रुति लेखकों की व्यवस्था करेगी या करायेगी।

भली–भांति विचारोपरांत उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित निर्णय लिये गये है:–

(1) विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम–1995 की धारा–31 के आलोक में परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था द्वारा दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले परीक्षार्थियों को श्रुति लेखक की व्यवस्था की जायेगी।

(2) श्रुति लेखक के पारिश्रमिक का भुगतान प्रति पाली 100/–(एक सौ) रू0 मात्र की दर से परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था द्वारा देय होगा।

बशर्ते कि श्रुति लेखक की शैक्षणिक योग्यता आयोजित परीक्षा, (जिसमें परीक्षार्थी सम्मिलित होनेवाला है।) से एक स्तर नीचे हो,

(3) दृष्टिहीन अथवा कम दृष्टि वाले परीक्षार्थी को संबंधित परीक्षा हेतु निर्धारित समय के साथ–साथ प्रति घंटा 15 मिनट के दर से न्यूनतम 15 मिनट तथा अधिकतम 45 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जायेगा।

विश्वासभाजन,
(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

बिहार गज़ट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 माघ 1928 (श0)

(सं0 पटना 119) पटना, वृहस्पतिवार, 1 फरवरी 2007

सं0 11आ0 4आ0 नि 0312000 का0-62

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

5 जनवरी 2007

विषय - नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के तहत सरकारी सेवाओं की नियुक्ति/प्रोन्नति एवं शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन में विकलांगों को आरक्षण के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत राज्य सरकार के सभी पदों एवं सेवाओं में विकलांगों की उचित भागीदारी एवं अन्य सुविधाएँ सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न संकल्पों/अधिनियम/परिपत्रों द्वारा निदेश परिचालित किये जाते रहे हैं।

भारत सरकार लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन 360351312004-इस्ट (रेस0), दिनांक 29 दिसंबर 2005 द्वारा पूर्व में निर्गत सभी अनुदेशों को समेकित करते हुए, नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अनुरूप लाने और प्रक्रियात्मक मसलों सहित कुछ मुद्दों की स्पष्ट करने की दृष्टि से एक समेकित अनुदेश निर्गत किये गये हैं, जिसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा भी पूर्व के निर्गत सभी निदेशों को एकीकृत करते हुए एक समेकित अनुदेश निर्गत किये जाते हैं, जो निम्नवत है:-

(1) **विकलांग सुरक्षा अधिनियम,** 1995 की धारा 33 के तहत् राज्य सरकार के सभी विभागों/कार्यालयों। राजकीय लोक उपक्रमों/निगमों/निकायो/बोर्डों के सभी प्रकार के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में विकलांगों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह आरक्षण अलग से नहीं बल्कि चयनित विकलांग जिस कोटा के होंगे, उनका सामजन उसी कोटा के विरूद्ध होगा। अर्थात् आरिक्षत कोटा (अनु0 जाति, अनु0 जन-जाति अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिला के विकलांग आरिक्षति कोट से और सामान्य वर्ग के विकलांग सामान्य वर्ग कोटा के विरूद्ध सार्मजित किये जायेंगे।

(2) **गुणा गुण (Merit)** के आधार पर विकलांगों की गणना गैर आरक्षित कोटा (सामान्य वर्ग) के अन्तर्गत की जायेगी।

(3) **विकलांगो के लिए आरक्षण** का प्रावधान यद्यपि कंडिका (1) में उल्लिखित सेवाओं एवं संगठनों के सभी प्रकार के पदों एवं सेवाओं में किया गया है, फिर भी यदि उसमें विगलांगों के लिए आरक्षण उपयुक्त नहीं समझा जाता हो तो संबंधित नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा उसे नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 से मुक्त रखने संबंधी प्रस्ताव के साथ यह भी प्रस्ताव दिया जायेगा कि हस्तगत नियुक्ति में नि:शक्त व्यक्तियों को आरक्षण नहीं देने की स्थिति में होने वाली क्षति के उक्त पद के समकक्ष पद पर होने वाली अन्य नियुक्ति (जिसमें विकलांगों को आरक्षण देय हो) से पूरा कर लिया जायेगा। उक्त प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु गठित निम्न समिति के समझ रखा जायेगा।

(i) मुख्य सचिव
(ii) सचिव, कल्याण विभाग
(iii) सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
(iv) नि:शक्तता आयुक्त
(v) निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ
(vi) संबंधित विभाग के सचिव/विभागाध्यक्ष

(4) नि:शक्तता की परिभाषाएं:-

(i) (क) अंधापन - ''अंधापन'' का अभिप्राय जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों से ग्रसित हो।

(ख) दृष्टि का पूर्ण अभावा, अथवा

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषयः- नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के तहत सरकारी सेवओं की नियुक्ति/प्रोन्नति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में विकलांगों को आरक्षण के सम्बन्ध मे।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत राज्य सरकार के सभी पदों एवं सेवओं में विकलांगों को उचित भागीदारी एवं अन्य सुविधाएं सुनिशिचित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न संकल्पों/अधिनियम/परिपत्रों द्वारा निदेश परिचालित किये जाते रहे हैं।

भारत सरकार लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन 360/3/2004-इस्ट(रेस0) दिनांक 29.12.2005 द्वारा पूर्व में निर्गत सभी अनुदेशों को समेकित करते हुए नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अनुरूप लाने और प्रकियात्मक मसलों सहित कुछ मुद्दों को स्पष्ट करने की दृष्टि से एक समेकित अनुदेश निर्गत किये गये है, जिसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा भी पूर्व के निर्गत सभी निदेंशें को एकीकृत करते हुए एक समेकित अनुदेश निर्गत किये जाते हैं, जो निम्नवत हैं:-

(1) विकलांग सुरक्षा अधिनियम 1995 की धारा-33 के तहत राजय सरकार के सभी विभागों/कार्यालयों/राजकीय लोक उपकमों/निगमों/निकाओं/बोर्डों के सभी प्रकार के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में विकलागों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह आरक्षण अलग से नहीं बल्कि चयनित विकलांग जिस कोटा के होगें उनका सामजन उसी कोटा के विरूद होगा। अर्थात् आरक्षित कोटा (अनु0 जाति, अनु0 जन जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग की महिला) के विकलागों आरक्षित कोटा से और सामान्य वर्ग के विकलांग सामान्य वर्ग के कोटा के विरूद सामंजित किये जायेगे।

(2) गुणा गुण (Merit) के आधार पर विकलांगों की गणना गैर आरक्षित कोटा (सामान्य वर्ग) के अन्तर्गत की जायेगी।

(3) विकलांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान यघपि कंडिका (1) में उल्लिखित सेवाओं एवं संगठनों के सभी पकार के पदों एवं सेवाओं में किया गया है, फिर भी यदि उसमें विकलागों के लिए आरक्षण उपयुक्त नहीं समझा जाता हो तो संबंधित नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा उसे नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम-1995 से मुक्त रखने संबंधी पस्ताव के साथ यह भी प्रस्ताव दिया जायेगा कि हस्तगत नियुक्ति में नि:शक्त व्यक्तियों को आरक्षण नहीं देने की स्थिति में होने वाली क्षति के उक्त पद के समकक्ष पद पर होने वाली अन्य नियुक्ति (जिसमें विकलांगों को आरक्षण देय हो) से पूरा कर लिया जायेगा। उक्त प्रस्ताव सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु गठित निम्न समिति के समझ रखा जायेगा।

(i) मुख्य सचिव

(ii) सचिव कलयाण विभाग

(iii) सचिव कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(iv) नि:शक्तता आयुक्त

(v) निदेशक स्वास्थ सेवाएँ

(vi) संबंधित विभाग के सचिव/विभागधयक्ष

(4) नि:शक्ततओं की परिभाषाएं:-

(i) (क) अंधापन:- ''अंधापन'' का अभिप्राय जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों से ग्रसित हो।

(ख) दृष्टि का पूर्ण अभाव, अथवा

(ii) बेहतर ऑख में दृष्टि सुधारने वाले लेंसों के साथ दृष्टि विमलता 6/60 अथवा 20/200 (स्नेलैन) से अनाधिक, अथवा

(iii) (क) दृष्टि क्षेत्र की सीमा जिससे 20 डिग्री का कोण व्याप्त हो अथवा इससे बदतर

(ख) कम दृष्टि:- कम दृष्टि वाले व्यक्ति से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी दृष्टिक किया उपचार के अथवा मानक परावर्ति सुधार करवाने के बाद भी खराब हो परन्तु जो समुचित सहायक यंत्र से किसी काम की योजना बनाने अथवा उसे निष्पादित करने में दृष्टि का प्रयोग करता हो अथवा उसका प्रयोग करने में संभावनीय रूप से समर्थ हो।

(ii) कम सुनाई देने की नि:शक्तता:- ''कम सुनाई देने की नि:शक्तता'' से बेहतर कान में बातचीत स्वरूप की श्रेणी की आवृतित्तयों के साठ डेसिबल अथवा कान में अधिक का लोप अभिप्रेत है।

(iii) (क) चलने फिरने की नि:शक्ता :- ''चलने फिरने की नि:शक्तता'' से हड्डियों, जोड़ों अथवा मांसपेशियों की नि:शक्ता अथवा किसी भी तरह का प्रमस्तिकष्कीय पक्षघात (फालिज) अभिप्रेत है, जिससे अंगों के हिलने डुलने में अत्याधिक बाधा हो।

(ख) प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फालिज)

''प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फालिज)'' से किसी व्यक्ति की गैर विकासेन्मुख स्थितियों का समूह अभिप्रेत है, जो जन्म से पूर्व, जन्म के आसपास अथवा विकास की आरंभिक अवधि में घटित मस्तिक आघात अथवा चोटो के परिणाम स्वरुप चलने फिरने असामान्य नियंत्रण भंगिता के रुप में परिलक्षित होता है।

(ग) शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों के सभी मामले चलने फिरने की नि:शक्कता अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फालिज) की श्रेणी के अंतर्गत आएगें।

(5) आरक्षण के लिए नि:शक्तता की मात्रा:- केवल ऐसे व्यक्ति सेवओं/पदों के आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो, कम से कम 40 प्रतिशत संगत नि:शक्कता से ग्रस्त हो जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहता हो उसे, अनुबंधा-। में दिए गए प्रारूप में सक्षम, प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया नि:शक्कता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(6) नि:शक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी- नि:शक्कता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित मेडिकल बोर्ड, सक्षम प्राधिकारी होगा। ककेन्द्र/राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित मेडिकल बोर्ड सक्षम प्राधिकारी होगा। केन्द्र/राज्य सरकार मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकती है, जसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे। इन सदस्यों में कम से कम मूद सदस्य चलने फिरने की नि:शक्तता/कम सुनाई देने की नि:शक्कता, जैसे भी मामला हो, का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होना चाहिए। (नि:शक्तता प्रमाण-पत्र का प्रपत्र संलग्न)

(7) मेडिकल बोर्ड, समुचित जाँच पड़ताल के पश्चात् स्थायी नि:शक्ता के ऐसे मामलों में स्थायी नि:शक्कता प्रमाण-पत्र जारी करें, जहाँ नि:शक्तता की मात्र में परिवर्तन होने की कोई गंजाईश न हो। मेडिकल बोर्ड, ऐसे मामलों में प्रमाण-पत्र की वैघता की अवधिा इंगित करें, जिनमें नि:शक्तता की मात्रा में परिवर्तन होने की गुजाईश हो। नि:शक्ता प्रमाण-पत्र के जारी किए जाने से तब तक इन्कार नहीं किया जायगा जब तक आवेदक को, उसका पक्ष सुनने का अवसर न दें दिया जाए। आवेदक द्वारा अभ्योवदन दनेने के पश्चात्, मेडिकल बोर्ड मामलें के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को धयान में रखते हुए अपने निर्णय की समीझा कर संकता हैं और उस मामलों में अपने विवेकानुसार आदेश दे सकता है।

(8) कार्मिक एंव प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं0- 458 दिनांक 30.09.02 द्वारा निर्गत आदेश रोस्टर के आलोक मे उक्त विकलांगों को निम्नांकित श्रृंखला के अंतर्गत आरक्षण देय होगा।

(क) दृष्टि नि:शक्तता - रोस्टर बिन्दु 03 से 33 तक - 01 पद

(ख) मूक्त बधिर नि:शक्कता- रोस्टर बिन्दु 34 से 67 तक - 01 पद

(ग) चलन नि:शक्कता - रोस्टर बिनदु 68 से 100 तक - 01 पद

उपर्युक्त तीनों प्रवर्गों में रोस्टर बिन्दु 1,34 एवं 67 नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रहेगें। यदि बिन्दु सं0-1, 34 एवं 67 नि:शुक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पहचाने नहीं जाते हो तो या स्थापना अधयक्ष इसे नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्ति के द्वारा भरना वांछनीय नहीं समझते हो अथवा इन्हे किसी भी कारण से नि:शक्कता से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा भरा जाना संभव नहीं है तो क्रमश: बिन्दु संख्या-2 से 33, 34 से 66 तथा रोस्टर बिन्दु 67 से 100 तक किसी भी बिन्दु पर आने वाली किसी रिक्ति को नि:शक्कता से ग्रस्त व्यक्ति के लिए

आरक्षति माना जायेगा, और इन्हें तदनुसार भरा जायेगा।

किसी सेवा संवर्ग मे की गई नियुक्ति प्रोन्नति के तुरंत बाद अलग रोस्टर पंजी में उसकी प्रविष्टि की जायेगी और नि:शक्तता से ग्रस्त उपर्युक्त तीनों श्रेणियों के जिस व्यक्ति की नियुक्ति/प्रान्नति जिस रोस्टर बिन्दु के विरूद्ध की गई है, वहाँउनकी प्रविष्टि की जाय और अभ्युक्ति कॉलम में स्पष्ट रू‍प से उल्लेख किया जायगा कि इनकी नियुक्ति/प्रोन्नति विकलांग कोटि के अन्तर्गत की गई है। (नि:शक्तता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षण रोस्टर प्रपत्र संलग्न हैं

(9) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 36 जो निम्नवत् है, के अनुरूप न भीर गई रिक्तियों को अग्रणित किए जाने के संबंध में कार्रवाई की जा सकेगी।

जहाँ किसी भर्त्ती वर्ष में धारा 33 के अधीन किसी रिक्त के किसी उपर्युक्त नि:शक्त व्यक्ति की अनुपालब्धता के कारण या किन्हीं अन्य प्रयाप्त कारण से भरा नहीं जा सकता है, वहाँ ऐसी रिक्ति अगली वर्ष में अग्रणित की जायेगी और यदि अगले भर्त्ती वर्ष में भी उपयुक्त नि:शक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो इसे पहले तीनों प्रवर्गो के बीच परस्पर परिवर्तन द्वारा भरा जा सकेगा और केवल तभी जब उस वर्ष में पद के लिए कोई नि:शक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, नियोजक नि:शक्त व्यक्ति सके भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करके रिक्ति को भरेगा।

परन्तु यदि किसी स्थापना में रिक्तियों की प्रकृति ऐसी हो कि किसी निश्चित प्रवर्ग के व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जा सकता है, तो रिक्तियाँ सरकार के पूर्वानुमोदन से तीनों प्रवर्गो के बीच परस्पर परिवर्तित की जा सकेगी।

(10) नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम की 1995 की धारा 39 में निहित प्रावधानों के अनुरूप यह निर्देश दिया गया है कि राज्य सरकार के अधीन शैक्षणिक संस्थानों में तथा ऐसे सभी शैक्षाणिक संस्थानों में जिन्हें सरकार से सहायता मिली हो, नामांकन में विकलांगों के लिए 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण भी वकलांगता आधारित होगा, जातिगत आधारित नहीं होगा। नामांकन हेतु चयनित विकलांग उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग का होगा, उसकी गणना उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग के विरूद्ध होगी। शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु विकलांग किसे कहा जायेगा तथा विभिनन प्रकार के विकलांगो के लिए आरक्षण की क्या व्यवस्था होगी इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत नि:शक्कत व्यक्ति अधिनियम, 1995 के प्रावधानों को अनुपालन किया जायेगा।

(11) नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 47 का मूल उद्देश्य सरकारी नियोजन में अविभेद (Non discrimination in Govt. employment) है, जिसके अनुसार अपंगता किसी व्यक्ति की सेवा में नियुक्ति/प्रोन्नति में बाधक नहीं होगी तथा अपंगता के आधार पर किसी को मूल अधिकारी से वंचित नहीं किया जा सकता है। अपंगता के कारण किसी व्यक्ति विशेष के धरित पद के योग्य नहीं रहने

पर उन्हें अतिरिक्त पद पर तक तक समायोजिजत रखा जा सकता है, जब तक कि उनके लिए उपयुक्त पद प्राप्त न हो जाया अथवा वे सेवानितृति की उमग को प्राप्त नहीं कर ले।

(12) आयु सीमा में छूट- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर यथा संशोधि अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त खुले प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होने वाली नियुक्ति में सभी पदों एवं वर्गों के लिए विकलांगता के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट रहेगी, जबकि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की स्थिति में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट रहेगी।

(13) नि:शक्त व्यक्तियों के लिए होरिजेन्टल आरक्षण:- पिछड़े वर्ग के नागरिकों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अत्यन्त पिछड़ें वर्गों, पिछड़ें वर्गें एवं पिछड़े वर्गों की महिलायें) के लिए आरक्षण को वकिल आरक्षण कहा जाता है और नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण को होरिजेन्टल आरक्षण कहा जाता है। होरिजेन्टल आरक्षण और वर्टिकल आरक्षण आपस में मिल जाते हैं (जिसं इंटर लौकिंग आरक्षण कहा जाता है) और नि:शक्त व्यक्तियों के लिए निर्धारित कोटे में चुने गये व्यक्तियों को अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों/ अत्यन्त पिछड़ें वर्गो/ पिछड़े वर्गो/ पिछड़े वर्गों की महिलाओं के आरक्षण के लिए बनाये गये रोस्टर में उनकी श्रेणी के आधार पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचि जन जातियों/ अत्यन्त पिछड़ें वर्गों / पिछड़ें वर्गों/ पिछड़ें वर्गों की महिलाओं/ सामान्य श्रेणी की उपयुक्त श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरणत: यदि किसी दिये गये वष में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए दो रिक्तयों आरक्षित है और नियुक्त किए गए दो नि:शक्त व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का है और नियुक्त किए गए दो नि:शक्त व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का है और दूसरा सामान्य श्रेणी का है तो अनुसूचित जाति के नि:शक्त उम्मीदवार को आरक्षण रोस्टर में अनुसूचित जाति के विन्दु पर समायोजित किया जायेगा और सामन्य उम्मीदवार को संगत आरक्षण रोस्टर में अनारक्षित बिन्दु पर रखा जायेगा और सामान्य उम्मीदवार को संगत आरक्षण रोस्टर में अनारक्षित बिन्दु पर रखा जायेगा। यदि अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित बिन्दु पर कोई भी रिक्ति नहीं होती है तो अनुसूतिच जाति का नि:शक्त उम्मीदवार भविष्य में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित अगली उपलब्ध रिक्ति पर समायोजित किया जायेगा।

(14) उपयुक्त्ता मानदण्डों में छूट:- यदि नि:शक्कता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मानदण्डों के आधार पर इस श्रेणी के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते तो इनके लिए आरक्षित शेष रिक्तियों को भरने के लिए मानदण्डों में ढील देकर इस श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन किया जाए बशर्ते कि व ऐसे पद अथवा पदों के लिए अनुपयुक्त न हो। इस प्रकार यदि नि:शक्ता ..... व्यक्तियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को सामान्य मानदण्डों के आधार पर नहीं ..... सके तो आरक्षित कोट में मी को पूरा करने के लिए इन श्रेणियों के उम्मीदवारों के मानदंडों के शिथिल कर के चयन कर लिया जाए बशर्ते कि विचारधीर पद/पदों के नियुक्ति हेतु एक उम्मीदवार उपयुक्त पाए जाए।

(15) हस्तंगत संकल्प के किसी बिन्दु पर विभेद होने की स्थिति में एतद् संबंधी पूर्व निर्गत मूल आदेशों/परिपत्रों आदि का अवलोकन किया जा सकता है अथवा आवश्यकतानुसार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार

किसी विभाग के सम्पर्क कर स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–11आ04आ0नि0–03/2000का0 ...../पटना दिनांक .....

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प की 100 प्रतियॉ इस विभाग को भेजने की कृपा करे।

(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–11आ04आ0नि.0–03/2000 का0 62 /पटना, दिनांक 5/1/07

प्रतिलिलप– महालेखाकार, बिहार, पटना तथा रांची/सचिव, बिहार लोक सेवा आयों, पटना/बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना/कर्मचारी चयन आयोंग, पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाधयक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार/सचिव बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद/ सभी विश्वविघालय के कुलपति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाधयक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा के उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें।

(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

संस्थान, अस्पताल का नाम और पता

अनुबन्ध - I

प्रमाण-पत्र सं ..... तारीख .....

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत् प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की नि:शक्तता दर्शाता हो।

नि:शक्तत प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री ..... आयु ..... लिंग ..... पहचान चिन्ह ..... निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी नि:शक्तता से ग्रस्त है-

(क) गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिकष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनो टांगे (बी एल) - दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनो बाहें (बी ए) - दोनो बाहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच (ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बाहें (बी एल ए) - दोनो टांगे और दोनों बाहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) - एक टांग प्रभावित (दायां या बायां) (क) दुर्बल पहुँच (ख) कमजोर पकड़ (ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) - एक बांह प्रभावित - (क) दुर्बल पहुँच (ख) कमजोर पकड़ (ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) - पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)।

(vii) कमजोर मांसपेशियाँ (एम डब्ल्यू) - मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

(ख) अंधापन अथवा अल्प दृष्टि-

(i) बी - अंधता

(ii) पी बी - आंशिक रूप से अँधता

(ग) कम सुनाई देनो

(i) डी- बधिर

(ii) पी डी- आंशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है गै़र प्रगामी है इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किये जाने की अनुशंसा की जाती है। *

3. उनके मामले में नि:शक्तता का प्रतिशत ..... है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिये निम्नलिखित

शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती है:-

(i) एफ-अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती है - हां/नहीं

(ii) पी पी - धकेलने और खींचने के जरिये कार्य कर सकते/सकती हैं - हां/नहीं

(iii) एल-उठाने के जरिये कार्य कर सकते/सकती हैं - हां/नहीं

(iv) के सी - घुटनों के जरिये कार्य कर सकते/सकती हैं - हां/नहीं

(v) बी - झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं - हां/नहीं

(vi) एस - बैठकर कार्य कर सकते/सकती है - हां/नहीं

(vii) एस टी- खड़ें होकर कार्य कर सकते/सकती हैं - हां/नहीं

(viii) उब्ल्यू - चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं - हां/नहीं

(ix) एस ई - देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं - हां/नहीं

(x) एच - सुनने/बोलने के जरिये कार्य कर सकते/सकती हैं - हां/नहीं

(xi) आर डब्ल्यू - पढ़ने और लिखने के जारिये कार्य कर सकते/सकती हैं - हां/नहीं

(डॉ .....)	(डॉ.....)	(डॉ .....)
सदस्य	सदस्य	सदस्य
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

ANNEXTURE I

Name and Address of the Institute/Hospital .....

Certificate No. ..... Date.....

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिक्त प्रमाणित उम्मीदवार का हल का फोटो जो उम्मीदवार की नि:शक्तता दर्शाता है।

DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/Smt/Kum .....
son/wife/daughter of Shri ..... age .....
sex ..... identification mark(s) ..... is suffering from permanent disability of following catagory -

A. Locomotor or erebral palsy :
   - (i) BL - Both legs affected but not arms
   - (ii) BA-Both arms affected (a) Impaired reach. (b) Weakness of grip.
   - (iii) BLA-Both legs and both arms affected.
   - (iv) OL - One leg affected (right or left)- (a) Impaired reach (b) Weakness of grip. (c) Ataxie
   - (v) OA - One arm affected (a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) Ataxie.
   - (vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop)
   - (vii) ...MW- Museular weakness and limited physical endurance.

B. Blindness or Low Vision -
   - (i) B- Blind
   - (ii) PD - Partially Deaf.

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive /non-progressive/likely to improve/not likely to improve.Re-assessment of this case is not recommended/is recommended after a period of ..... years ..... month.*

3. Percentage of disabillity in his/her case is ..... percent.

4. Sri/Smt/Kum .....meets the following physical requirements for discharge of his/her duties -

(i)	F-Can perform work by manipulating with fingers	Yes/No.
(ii)	PP-can perform work by pulling and pushing	Yes/No.
(iii)	L- can perform work by lefting	Yes/No.
(iv)	KC - can perform work by kneeling and erouching	Yes/No.

(v)	B- can perform work by bending	Yes/No.
(vi)	S- can perform work by sitting	Yes/No.
(vii)	ST - can perform work by standing	Yes/No.
(viii)	W - can perform work by walking	Yes/No.
(ix)	Se - can perform work by seeing	Yes/No.
(x)	H - can perform work by hearing/speaking	Yes/No.
(xi)	RW - can perform work by reading and writing	Yes/No.

(Dr.....) (Dr .....) (Dr.....)
Member Member Chairperson
Medical Board Medical Board Medical Board

Countersigned by the
Medical Superintendent /CMO/Head of
Hospital (With seal)

*Strike out which is not applicable.

निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण रोस्टर

अनुबन्ध - II

भर्ती का वर्ष	साईकिल सं0 और पोइन्ट सं0	पद का नाम	क्या निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिय पद उपयुक्त पाया गया है।			अनारक्षित अथवा आरक्षित	नियुक्त व्यक्ति का नाम और नियुक्ति की तारीख *	क्या नियुक्त किया गया व्यक्ति ह0 वि0/व/ ज्ञा0वि0ह0 अथवा इनमें से कोई नहीं **	अभ्युक्तियाँ यदि कोई हो
			दृ0वि0	ब0	शा0 वि0				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*यदि आरक्षित पहचाने गए हों तो लिखें दृ0वि0/ब0/शा0वि0, जैसा कि मामला हो, अन्यथा लिखें अनारक्षित।

**लिखें दृ0वि0/ब0/श0वि0 अथवा इनमें से कोई नहीं, जैसा भी मामला हो।

***दृ0वि0/ब0/शा0वि0 का आशय दृष्टि विकलांग, बधिर और शारीरिक विकलांग से है।

ANNEXTURE-II

RESERVATION ROSTER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

Year of recruitment	Cycle No. and Point No.	Name of post	Whether identified suitable for persons with disabilities suffering from			Unreserved or Reserved *	Name of the person and date of appointment	Whether the person appointed is VH/HH/OH or None **	Remarks if any.
			VH	HH	OH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1o

* If identified reserved, write VH/HH/OH, as the case may be, otherwise write UR.
**Write VH, HH, OH or None, as the case may be.
***VH, HH, OH stand for Visually handicapped, Hearing Handicapped and Orthopaedically Handicapped

पत्रं संख्या- 11/वि.ड. न्याय - 09/98 का. - 246

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

निरंजन कुमार चौधरी
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी ज़िला पदाधिकारी

पटना-15 दिनांक- 09.06.2009

विषय : अन्य पिछड़े वर्गों (ओ0 बी0 सी) के आरक्षण के दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्गो) को बाहर रखने के लिए आय के मानदण्डों में संशोधन।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक 154, दिनांक 28.07.2000 के द्वारा निदेशित किया जा चुका है कि जब तक क्रीमीलेयर को राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण की सुविधा के अलग रखने के लिए राज्य सरकारी द्वारा नये निर्देश जारी नहीं किये जाते हैं, तब तक संबंध में भारत सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत निदेश का अनुपालन राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण के संबंध में किया जायेगा।

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली के पत्रांक 36033/3/2004-स्थापना (आरक्षण) दिनांक- 09.3.2004 द्वारा आय/सम्पत्ति के निर्धारण को संशोधित करते हुए एक लाख के स्थान पर 2.50 लाख किया गया है, जिसे राज्य में लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। अत: भारत सरकार के उक्त पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चत की जाये।

इसके अतिरिक्त वार्षिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 17 दिनांक 6.2.1994 द्वारा प्रसारित कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक 36012/21/93 ईस्ट (एस. सी) दिनांक 8.9.1993 में निहित क्रीमीलेयर संबंधी दिशा निदेश के अंग्रेजी भाषा हिन्दी सामान्तरण लोक हित में आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अंनुलग्नक यथावत।

विश्वासभाजन,

सरकार के उप सचिव

No. 36033/3/2004 Estt. (Res.)
Government of India
Ministry of Personnel Public Grievances & Persions
Department of Personnel & Training

New Delhi - the 15th March, 2004

The Chief Secretary
Government of Bihar
Patna

Subject : Revision of Income criteria to exclude socially advanced persons/section (Creamy Layer) from the purview of reservation for Other Backward Classes (OBs).

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of the Department's OM No. 36033/3/2001-Estt. (Res) dated the 9th March, 2004 on the above noted subject for information and necessary action.

Your faithfully

(K.G. Verma)
Deputy Secretary to Government of India.

No. 36033/3/2004 Estt. (Res.)
Government of India
Ministry of Personnel Public Grievances & Persions
Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi
Dated 9th March, 2004

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Revision of Income criteria to exclude socially advanced persons/sections (Creamy Layer) from the purview of reservation for Other Backward Classes (OBCs).

The undersigned is directed to invite attention to this Department's C.M. No. 36012/22/93-Est.(SCT) dated 8th September. 1993 which inter alia provides that sons and daughters of persons having gross annual income of Rs. 1 lakh or above for a period of three consecutive years fall within the creamy layer and are not entitled to get the benefit of reservation available to the Other Backward Classes. It has been decided to raise the income limit from Rs. 1 lakh from Rs. 1 lakh to Rs. 2.5 lakh for determining the creamy layer amongst the OBCs. Accordingly the following entry is hereby substituled for the existing entry against Category VI in the Schedule to the above to the above referred O.M.:

Category	Description Category	To whom the rule of exclusion will apply
		(a) Persons having gross annual income of Rs. 2.5 lakh or above or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act for a period of three consecutive years. (b) Persons in Categories I.II.III and V A who are not disentitled to the benefit or reservation but have income from other sources or wealth criteria mentioned in (a) above. Explanation: Income from salaries or agricultural land shall not be clubbed.

2. The provisions of this Office Memorandum take effect from 4th February, 2004
3. All the Ministries/Departments are requested to bring the contents of the office Memorandum to the notice all concerned.

(K.G. Verma)
Deputy Secretary to the Government o India
Tele: 23092797

To

1. All the Ministries/Departments of the Government of India.
2. Department of Economic Affairs (Banking Diving), New Delhi.
3. Department of Economic Affairs (Insurance Division), New Delhi
4. Department of Public Enterprises, New Delhi
5. Railway Board
6. Union Public Service Commission/Supreme Court of India/Election Commission/LoK Sabha Secretariat/Rajya SAbha Secretariat/Cabinet Secretariat/Central Vigilance Commission/President's Secretariat/Prime Minister's Office/Planning Commission.
7. Staff Selection Commission, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi
8. Ministry of Social Justice and Empowerment, Shastri Bhawan, New Delhi
9. National Commission for SCs and STs, Lok Nayak Bhawan, New Delhi
10. National Commission for Backward Classes, Trikoot-I, Bhikaji Cama Palace, R.K. Puram, New Delhi.
11. Office of the Comptroler and Auditor General of India, 10 Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110002
12. Information and Facilitation Centre, DOPT, North Block, New Delhi, (100 copies)
13. Spare copies-400

पत्रं संख्या-36033/3/2004 - स्थापना (आरक्षण)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, दिनांक 9, मार्च 2004

कार्यालय-ज्ञापन

विषय : अन्य पिछड़े वर्गों (ओ0 बी0 सी) के आरक्षण के दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्गों) को बाहर रखने के लिए आय के मानदण्डों में संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 08 सितम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/12/93-स्थापना (अनु.जा.) की ओर धयान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि उन व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियों जिनकी लगातार तीन वर्षों तक की कुल वार्षिक आय एक लाख रूपए अथवा उससे अधिक है, सम्पन्न वर्गों में आते हैं और वे, अन्य पिछड़ें वर्गों को उपलब्ध आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। अन्य पिछड़े वर्गों में से सम्पन्न वर्गों का निर्धारण करने के लिए आय की सीमा को एक लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रूपए करने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार, उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अुनसूची की श्रेणी VI का विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर एतद् द्वारा निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाती है।

श्रेणी	श्रेणी की विवरण	वे व्यक्ति जिन पर आरक्षण के क्षेत्र से बाहर रखे जाने का नियम लागू होगा
Vi	आय/सम्पत्ति का निर्धारण	(क) उन व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियां, जिनकी लगातार तीन वर्षों तक की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रूपए अथवा उससे अधिक है अथवा सम्पत्ति कर अधिनियम में यथा-निर्धारित छूट सीमा से अधिक की सम्पत्ति रखते है। (ख) श्रेणी I,II,III और Vक में आने वाले ऐसे व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ पाने के हकदार हैं, परन्तु जिनकी अन्य स्त्रोतों से आय अथवा सम्पत्ति जो उन्हें उपर्युक्त (क) में उल्लिखित आय/सम्पत्ति के मानदण्ड के भीतर लाएगी, के पुत्र और पुत्रियां।

स्पष्टीकरण:

1. वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को नहीं जोड़ा जाएगा।

2. इस कार्यालय ज्ञापन के अवधान 04 फरवरी 004 से लागू होंगे।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को सभी संबंधित व्यक्तियों की जानकारी में ला दें।

(के. जी. वर्मा)
भारत सरकार के उप सचिव
दूरभाष : 23092797

सेवा में,

1. भारत-सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग।
2. आर्थिक कार्य-विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली।
3. आर्थिक कार्य-विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली।
4. लोक-उद्यम-विभाग, नई दिल्ली
5. रेल-बोर्ड
6. संघ-लोक-सेवा-आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/ निर्वाचन-आयोग/लोक-सभा-सचिवालय, राज्य-सभा-सचिवालय/मंत्रिमण्डल/मंत्रिमण्डल-सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता-आयोग/ राष्ट्रपति-सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग।
7. कर्मचारी-चयन-आयोग, केन्द्रीय सरकार-कार्यालय-परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली।
8. सामाजिक न्याय और अधिकारिता-मंत्रालय, शास्त्री भवन नई दिल्ली।
9. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति-आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली।
10. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट)।भीकाजी कामा पैलेस, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली
11. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, 10 बहादुर शाह जफ़र मार्ग, दिल्ली-110002
12. सूचना और सुविधा-केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
13. अतिरिक्त प्रतियॉ-400

महेन्द्र प्रसाद
अधयक्ष के निजी सचिव

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार
त्रिकुट-1, भीकाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली- 110066

सेवा में,

श्री निरंजन कुमार चौधरी
सरकार के उप-सचिव
कार्मिक एवं प्रशानिक सुधार विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

महाशय,

निदेशानुसार आप अपने पत्रांक-11/वि0-पि0व0अ0-04/2002 का0-53, दिनांक-31 जनवरी 2004 का अवलोकन करें जिसमें क्रीमिलेयर संबंधी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक-36012/22/93-ईस्ट (एस.सी.टी.) दिनांक-8.3.1992 की हिन्दी प्रति की मांग की गई है, जिसको संलग्न करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किए जाते हैं।

धन्यवाद

विश्वासभाजन
(महेन्द्र प्रसाद)

भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का 8.9.1993 का का0 ज्ञा0 सं0 36012/22/93-स्थापना (एस सी टी)

विषयः- भारत सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से सम्बन्धित।

मुझे भारत सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ें वर्गो के लिए आरक्षण के संबंधित विभाग में 12 अगस्त, 1990 और, 25 सितम्बर 1994 के कार्यालय ज्ञापन 35012/31/90... स्थापना (एस.सी.टी.) को देखने और यह कहने का निर्देश हुआ है कि इंदिरा साहनी और अन्य बनाव भारत का संघ और अपने मामले में (रिट याचिका (सिविल) 1990 का सख्यांक 930) उच्च्तम न्यायलय के निर्णय के बाद भारत सरकार में एक विशेषज्ञ निधि नियुक्त की है जो भारत सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़ें वर्ग के लिए दिए गए आरक्षण के लाभों में से सम्पन्न व्यक्तियों/वर्गों का अपवर्जन के मानदण्ड निर्धारित करेगी।

2. विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त पैरा (।) में निर्दिष्ट द्वारा विभाग के 13-6-1990 के कार्यालय ज्ञापन सं0 36012/31/90-स्थापना (एस. टी. सी.) को एतद द्वारा संशोधित किया गया है जो इस प्रकार है:-

(क) भारत सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में 27 प्रतिशत (सत्ताइस प्रतिशत) रिक्त पद सीधी भर्ती से भरे जाऐं और इन्हें अन्य पिछड़ें वर्गों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। आरक्षण लागू करने के लिए आपनाई जाने वाली प्रकिया में सम्बन्धित विस्तृत अनुदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

(ख) अन्य पिछड़े वर्गों के ऐसे अभ्यार्थी जो सामान्य अभ्यार्थियों के लिए निर्धारित मानकों पर आधारित खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर भर्ती किए जाते है उन्हें आरक्षण के 27 प्रतिशत के कोटे के रिक्त पदों पर समायोजित नहीं किया जाएगा।

(ग) (i) उपर्युक्त आरक्षण इस कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम 2 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों पर लागू नहीं होगा। (परिशिष्ट 1 देखें)

(ii) अपवर्जन का नियम कारीगरों अथवा वंशानुगत व्यवसाय में लगे व्यक्तियों पर लागू नही होगा। ऐसे व्यवसायों को सूची कल्याण मन्त्रालय द्वारा अलग से जारी की जाएगी।

(घ) उपर्युक्त आरक्षण के प्रयोजनार्थ अन्य पिछड़े वर्गो के पहले चरण में उन जातियों और समुदायों को शामिल किया जाएगा जो मंडल आयोग की रिपोर्ट और राज्य सरकार की सूचियों, दोनो में शामिल हो। ऐसी जातियां और समूदायों की सूची कल्याण मन्त्रालय द्वारा अलग से जारी की जा रही है।

(ड) उपर्युक्त आरक्षण तुरन्त लागू होगा किन्तु यह आरक्षण उन रिक्त पदों के लिए लागू नहीं होगा जिनके लिए भर्ती की प्रकिया क्रमशः लोक उद्यम विभाग और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जांएगे, जो इस कार्यालय ज्ञापन की तारीख से लागू होंगे।

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपी:
1. लोक उद्यम, विभाग, नई दिल्ली
2. वित्त मंत्रालय (बैंकिंग और बीमा विभाग) नई दिल्ली।

अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त अनुदेश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा निगमों के लिए जारी किए जाएं।

परिशिष्ट-।

आरक्षण से अपवर्जित व्यक्ति/वर्ग

भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का तरीख 8.9.1993 का कार्यालय ज्ञापन सं0 36012/22 स्थापना (एस सी टी)

श्रेणी संबंधी विवरण	अपवर्जन का नियम जिनपर लागू होगा
1. संवैधानिक पद	निम्नलिखित के पुत्र और पुत्री (पुत्रियों) पर- (क) भारत का राष्ट्रपति (ख) भार का उपराष्ट्रपति (ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायधीशों (घ) लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत का महालेखानियंत्रक (ड) इसी तरह के संवैधाानिक पद धारित व्यक्तियों।
2. सेवा श्रेणी (क) केन्द्र और राज्य की अखिल भारतीय सेवओं (सीधी भर्ती) के ग्रुप (ए)/क्लास I के अधिकारी	निम्नलिखित के पुत्र और पुत्री (पुत्रियों)पर - (क) माता-पिता दोनों क्लास I । अधिकारी हों (ख) माता' -पिता में से एक क्लास I अधिकारी हों (ग) माता-पिता दोनो क्लास I अधिकारी हों किंतु उनमें

से एक की विकलांगता के कारण मृत्यु हो गई हो अथवा वह स्थायी रूप से विकलांग हो

(घ) माता-पिता में से एक क्लास I अधिकारी हों और उसकी विकलांगता के कारण मृत्यु हो गई हो अथवा वह स्थायी रूप से विकलांग हों और मृत्यु से पहले अथवा विलांगता से पहले कम से कम 5 वर्ष तक किसी अर्न्तराष्ट्रीय संगठन जैसे -यु. एन. आई. एम. एफ, विश्व बैंक आदि में नौकरी की हो:

(झ) माता-पिता दोनो क्लास । अधिकारी हों और विकलांगता के कारण दोनों की मृत्यु हो गई अथवा स्थायी रूप से विकलांग हों, दोनों में से एक ने कम-से-कम 5 वष तक किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यू. एन. आई. एम. एफ विश्व बैंक आदि में नौकरी की हो

किन्तु अपवर्जन की नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा-

(क) ऐसे माता पिता के पुत्र और पुत्रियाँ जो दोनों या दोनों में से एक क्लास I आधिकारी हों और ऐसे माता-पिता की विकलांगता, के कारण मृत्यु हो गई हो अथवा स्थायी रूप से विकलांग हो।

(ख) अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी की महिला ने क्लास I अधिकारी के साथ विवाह किया हो और नौकरी के लिए आवेदन करना चाहती हो

(ख) केन्द्र और राज्य सेवओं क ग्रुप ''बी'' क्लास।। के अधिकारी (सीधी भर्ती)

निम्नलिखित के पुत्र और पुत्रियों पर:-

(क) माता-पिता दोनों क्लास II अधिकारी हो

(ख) माता-पिता में केवल पिता क्लास ।। अधिकारी हो और 40 वर्ष आयु प्राप्त होने अथवा उससे पहले क्लास I अधिकारी बनने वाला हो।

(ग) माता-पिता दोनों क्लास II अधिकारी हों, किंतु

उनमें से एक ही विकलांगता के कारण मृत्यु हो गई हो अथवा वह स्थायी रूप से विकलांग हो और मृत्यु से पहले अथवा विकलंगता से पहले कम से कम 5 वर्ष तक की अंतराष्टीय संगठन जैसे यु. एन. आई. एम. एफ. विश्व बैंक आदि में नौकरी की हो

(घ) माता पिता में से पिता क्लास I अधिकारी (सीधी भर्ती अथवा 40 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले पदोन्नत) और माता क्लास II अधिकारी हों और किसी की विकलांगता के कारण मृत्यु हो गई हो अथवा स्थायी रूप से विकलांग हो।

(ड) माता-पिता में से माता क्लास I अधिकारी हो (सीधी भर्ती अथवा 40 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले पदोन्नत) और पिता क्लास II अधिकारी हों और पति की विकलांगता के कारण मृत्यु हो गई हो अथवा स्थायी रूप से विकलांग हों:

किंतु अपवर्जन का नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा-

(क) ऐसे माता-पिता के पुत्र और पुत्रियाँ जो दोनों क्लास II अधिकारी हो और उनमें से एक की विकलांगता के कारण मृत्यु हो गई हो अपना स्थायी रूप से विकलांग हो

निम्नलिखित के पुत्र पुत्रियां पर-

(ख) माता पिता- दोनों क्लास ।। अधिकारी हों, किन्तु दोनों की विकलांगता के कारण मृत्यु हो गई हो अथवा स्थायी रूप से विकलांग हो भले ही उनमें से एक के मृत्यु से पहले अथवा विकलांगता से पहले कम-से-कम 5 वर्ष तक किसी अंर्तराष्ट्रीय संगठन जैसे चू. एन. आई. एम. एफ, विश्व बैंक आदि में नौकरी की हो,

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों आदि के कर्मचारी

इस श्रेणी में उपर्युक्त क और ख में उल्लिखित मानदंड अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे अधिकारी पर भी लागू होंगे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, बीमा

	संगठनों, विश्वविद्यालयों, समकक्ष एवं समतुल्य पदों पर है, और इन संस्थाओं में समकक्ष अथवा समतुल्य आधार पर पदों का मूल्यांकन करने तक प्राईवेट नौकरी में समकक्ष अथवा समतुल्य पदों पर भी लागू होगी। नीचे श्रेणी VI में विनिर्ष्दिट मानदंड इन संस्थाओं के अधिकारियों पर लागू होंगे।
III. सशस्त्र बल, इसमें पराशैन्य बल शामिल है	ऐसे अभिभावकों के पुत्र और पुत्री (पुत्रियाँ) जिनमें से एक अथवा दोनों में कर्नल और उनसे ऊपर के रैंक के है और नौसेना तथा वायु सेना और पराशैन्य बलों में समकक्ष पदों पर है: परन्तु:- (i) यदि शसस्त्र बल के किसी अधिकारी की पत्नी भी सशक्त बल में है (अर्थात् विचाराधीन श्रेणी में है) तो उस पर अपवर्जन का नियम तभी लागू होगा जब वह कर्नल के पद पर पहुंचेगे। (ii) पति और पत्नि की कर्नल रैंक से नीचे को सेवा को एक साथ नही जोड़ा जाएगा। (पपप) यदि सशस्त्र बल के किसी अधिकारी की पत्नी सिविल सेवा में हो तो ऐसे मामले में अपवर्जन का नियम तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वह पद संख्य II में उल्लिखित श्रेणी में नहीं आ जाती, ऐसे मामलों में उस पर स्वतंत्र रूप से उसमें उल्लिखित मानदंड और शर्ते लागू होगी।
IV व्यावसायिक वर्ग और व्यापार तथा उघोग में कार्यरत वर्ग- चिकित्सक, वकील, चार्टड आकाउन्टेंट आयकर परामर्शदाता, वित्त और प्रबंधन परामर्शदाता दंत-चिकित्सक, इंजिनियर, वास्तुविद, कंप्यूटर विशेषज्ञ फिल्मी कलाकार और अन्य किसी व्यावसायी, लेखक नाटककार, खिलाड़ी, पेशेवर खिलाड़ी, मीडिया व्यवसायी अथवा इसी तरह की किसी अन्य व्यवसाय में कार्यरत व्यक्ति।	श्रेणी VI में विनिर्दिष्ट मानदंड लागू होगा।

(ii) व्यापार कारोबार और उघोग में कार्यरत व्यक्ति	श्रेणी VI में विनिर्दिष्ट लागू होगा। स्पष्टीकरण' (i) यदि पति किसी व्यवसाय में कार्यरत है और पत्नी क्लास II अथवा उससे निम्नतर ग्रेड की सेवा में हो तो केवल पति की आय क आधार पर आय/संपत्ति की जांच की जायेगी। (ii) यदि पत्नी किसी व्यवासा में है और पति क्लास II अथवा निम्न श्रेणी के पद पर है तो केवल पत्नी की आय के आधार पर आय/सम्पत्ति मानदंड लागू होगा और उसमें पति की आय शामिल नहीं की जाएगी।
V संपत्ति के मालिक क. कृषि जोत क्षेत्र	ऐसे परिवार के पुत्र और पुत्री (पुत्रियाँ) (पिता, माता और अव्यवस्क बच्चे) जिनके पास- (क) क़ानूनन निर्धारित अधिकतर सीमा क्षेत्र के बराबर या 85 प्रतिशत से अधिक भूमि हो। (ख) संचित और गैर-सिंचित भूमि जो निम्ननुसार हो- (i) अपवर्जन का नियम वहां लागू होगा जहां यह पूर्ण एवं विद्यमान हो कि संचित भूमि (इसका परिचालन गैर सिंचित भूमि को निकाल कर किया जाएगा) के लिए क़ानूनन निर्धारित अधिकतम सीमा का 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक संचित क्षेत्र (एक प्रकार की भूमि का समान माप के अंतर्गत रखकर) हो। यदि यह न्यूनतम 40 प्रतिशत तक की पूर्व शर्त विद्यमान है तो ग़ैर-संचित भूमि से परिकलित संचित क्षेत्र की वास्तविक संचित क्षेत्र से जोड़ा जाएगा और यदि इस प्रकार जोड़ने के बाद यदि संचित भूमि का कुल क्षेत्र सिंचित भूमि के क़ानून द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा का 85 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो तो अपवर्जन का नियम लागू होगा और आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। (ii) यदि किसी परिवार की भूमि ग़ैर-संचित है तो

	अपवर्जन का नियम लाग नही होगा।
ख. बगान	
(i) काफी, चाय, रबड़ आदि	नीचे श्रेणी VI में विनिर्दिष्ट आय, सम्पत्ति मानदंड लागू होगा।
(ii) आम, सिट्स, सेब आदि के बागान	इन्हें कृषि क्षेत्र समझा जाता है, इसलिए इस श्रेणी के अंतर्गत उपर्युक्त क में उल्लिखित मानदण्ड लागू होगा। नीच श्रेणी VI में उल्लिखित मानदंड लागू होगा।
ग. खाली पड़ी भूमि और/अथवा शहरी क्षेत्र में भवन अथवा शहरी व्यवस्था	स्पष्टीकरण – भवनों का आवासीय, उद्योग अथवा वाणिज्यिक प्रयोजन और इसी तरफ के दो अथवा अधिक आयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाए।
VI. आय/संपत्ति की जांच	पुत्र और पुत्री (पुत्रियाँ):- (क) जिन व्यक्तियों की कुल वार्षिक आय 1 लाख अथवा उससे अधिक हो अथवा लगातार तीन वर्ष तक संपत्ति अधिनियम में यथा निर्धारित छूट की सीमा से अधिक सम्पत्ति हो। (ख) श्रेणी I, I, II, और V-क में ऐसे व्यक्ति, जिन्हें आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया गया है किंतु उन्हें संपत्ति में आय स्त्रोत्रों से आय होती है, जिससे वे उपर्युक्त (क) में उल्लिखित आय/संपत्ति मानदंड में आ जाएगी। स्पष्टीकरण (i) वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को मिलाया नहीं जाएगा। (ii) रूपए में रूप के आय के मानदंड में प्रत्येक तीन वर्षों में रूपए के मूल्य में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाएगा किंतु यदि परिस्थितियों के अनुसार आरक्षित होता तो व्यवस्था का क्रम भंग कम किया जाएगा। स्पष्टीकरण :- इस अनुसूची में जहां कही ''स्थायी

रूपस्त्र से अक्षमता'' अभिव्यक्ति आई है उसका अभिप्राय यह होगा कि इस अक्षमता के फलस्रूप अधिकारी सेवा में नहीं है।